निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–I

कार्पोरेट सुशासन पर रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ("टीएचडीसीआईएल" या "कंपनी") कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत परिभाषित एक सरकारी कंपनी है जिसमें 74.496% शेयरधारिता एनटीपीसी की है और 25.504% शेयरधारित उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल की है। टीएचडीसीआईएल नैतिकता, पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेही पर आधारित कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा ध्यान हितधारक मूल्य को बढ़ाने और सभी हितधारकों का विश्वास और भरोसा बनाए रखने पर केंद्रित है।

टीएचडीसीआईएल में, हम व्यवस्थित प्रक्रियाओं, नीतियों और लागू वैधानिक प्रावधानों द्वारा निर्देशित एक मजबूत सुशासन ढांचे के भीतर काम करते हैं। इनमें कंपनी अधिनियम, 2013; भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (एलओडीआर); लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देश (2010); भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक; और अन्य प्रासंगिक विनियम एवं नीतियाँ शामिल हैं।

निदेशक मंडल को वित्त वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी की कॉर्पोरेट सुशासन पर रिपोर्ट के साथ–साथ कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा कॉरपोरेट सुशासन पर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। हमें यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि कंपनी को वर्ष 2024–25 के लिए कॉर्पोरेट सुशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए डीपीई द्वारा 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त होने की आशा है।

1. कॉर्पोरेट सुशासन के संबंध में कंपनी की विचारधारा का संक्षिप्त विवरण

हमारी कंपनी कॉर्पोरेट सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें पारदर्शिता, अखंडता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए नियमों और नियंत्रणों की एक प्रणाली शामिल है। प्रोत्साहनों के इस संरेखण से कंपनी के शेयरधारकों, निदेशकों और प्रबंधन, समाज और पर्यावरण सहित सभी हितधारकों को लाभ होता है। हमारा सुशासन ढांचा हितधारकों के हितों को संतुलित करते हुए कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति की सुविधा प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के व्यवसाय निष्पक्ष और जिम्मेदारी से संचालित किए जा रहे हैं। यद्यपि कंपनी की स्थापना के बाद से हमारा अभिशासन दर्शन मूलभूत रहा है, हमारा ढांचा समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलनीय बना हुआ है।

कंपनी का मानना है कि कॉर्पोरेट सुशासन में बोर्ड के कार्य शामिल हैं, यह कंपनी के मूल्यों को कैसे निर्धारित करता है और यह कंपनी के व्यावसायिक सिद्धांतों को कैसे संचालित करता है। बोर्ड का दावा है कि सुशासन केवल एक उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसका अर्थ कॉर्पोरेट नागरिकता के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह कंपनी के अधिकारियों द्वारा प्रबंधित दैनिक पूर्णकालिक कार्यों से अलग है। बोर्ड की जिम्मेदारियों में कॉर्पोरेट सुशासन सिद्धांतों को लागू करना, सामरिक उद्देश्य निर्धारित करना, अपने नेतृत्व के साथ प्रबंधन का मार्गदर्शन करना और शेयरधारकों को रिपोर्ट करना शामिल है। प्रबंधन, बोर्ड और समितियां मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि कंपनी अखंडित सत्यनिष्ठा, उत्कृष्टता और जिम्मेदार विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखे।

डीपीई के सुशासन दिशानिर्देश: अनुपालन विवरण

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, टीएचडीसीआईएल ने पूरे वित्त वर्ष 2024–25 में सुदृढ़ सुशासन पद्धतियों को बनाए रखा। तिमाही कॉर्पोरेट सुशासन रिपोर्ट (सीजीआर) निर्धारित समय–सीमा के भीतर विधिवत प्रस्तुत की गई। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, टीएचडीसीआईएल ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए, जिनमें रु 3,281.8 करोड़ का राजस्व, 7,000 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन और रु 3,440.96 करोड़ का पूंजीगत व्यय शामिल है। सामरिक अवसंरचना परियोजनाओं को समय पर चालू करने, ईबीआईटीडीए मार्जिन (52.28%) में सुधार, रु 202.91 का ईपीएस प्राप्त करने, प्राप्य राशि के समय को कम करके 45 दिनों तक करने और अनुसंधान एवं विकास व्यय को बढ़ाकर पीबीटी के 2% तक करने पर ज़ोर दिया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुरूप, कंपनी ने आरटीआई आवेदनों का सक्रिय प्रकटीकरण और समय पर निपटान सुनिश्चित किया। नामित लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों ने समय–समय पर क्षमता निर्माण प्रयासों के माध्यम से अनुपालन को सुगम बनाया।

इसके अतिरिक्त, टीएचडीसीआईएल ने सूचना का अधिकार (आरटीआई), अभिशासन, सतर्कता, पीओएसएच, वित्त और नियामक मामलों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सुव्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता वृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया। आईआईपीए, आईसीएसआई, एनपीटीआई और एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस सहित प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से आयोजित ये सत्र, कंपनी के व्यावसायिक विकास और सुशासन उत्कृष्टता पर निरंतर फोकस को दर्शाते हैं।

टीएचडीसीआईएल ने बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए एक व्यापक आचार संहिता तैयार और कार्यान्वित की है। यह संहिता नैतिक आचरण, हितों के टकराव से बचने और कंपनी के हितों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण वित्तीय या वाणिज्यिक संव्यवहार के प्रकटीकरण से संबंधित सिद्धांतों को रेखांकित करती है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, वरिष्ठ प्रबंधन के सभी सदस्यों और नामित प्रमुख कार्मिकों ने संहिता का पालन करने की पुष्टि की। हितों के टकराव या व्यक्तिगत हित से जुड़े महत्वपूर्ण संव्यवहार का कोई मामला सामने नहीं आया और जहाँ लागू हो, बोर्ड के समक्ष

पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से आवश्यक प्रकटीकरण किए गए।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने, दीर्घकालिक व्यापार कार्य नीतियों को विकसित करने, सामान्य मामलों और प्रदर्शन की देखरेख करने और कंपनी की कॉर्पोरेट सुशासन परिपाटियों की प्रभावशीलता की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कंपनी के मामलों के प्रबंधन की देखरेख करते हैं, बोर्ड के परामर्श से व्यावसायिक कार्यनीतियों को क्रियान्वित करते हैं तथा वार्षिक और दीर्घकालिक दोनों व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं।

2.1 बोर्ड का आकार और संरचना

कंपनी के व्यवसाय की देखरेख निदेशक मंडल द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, निदेशक मंडल में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी निदेशकों का एक आदर्श संयोजन है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी प्रावधान है कि बोर्ड में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी निदेशकों का एक इष्टतम संयोजन होना चाहिए जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक भी हो।

टीएचडीसीआईएल के संगम–ज्ञापन (आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन) के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के निदेशकों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार है, जो सात से कम और पंद्रह से अधिक नहीं होनी चाहिए। कंपनी के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में कम से कम दो निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार है। निदेशकों के पास आवश्यक योग्यताएँ, विशेषज्ञता और अनुभव है जो उन्हें कंपनी के व्यवसाय का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने और बोर्ड में प्रभावी योगदान देने में सक्षम बनाता है।

विद्युत मंत्रालय ने 12 दिसंबर 2022 और 10 मई 2022 के अपने पत्रों के माध्यम से टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में निम्नलिखित पदों को मंजूरी दी:

क्रम सं.	बोर्ड स्तरीय पदों की संरचना
1.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	निदेशक (कार्मिक)
3.	निदेशक (तकनीकी)
4.	निदेशक (वित्त)
5.	एनटीपीसी के 2 (दो) नामिती निदेशक
6.	भारत सरकार का एक प्रतिनिधि
7.	उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधि
8.	8 (आठ) गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक

31 मार्च, 2025 तक, बोर्ड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, तीन कार्यात्मक निदेशक, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से एक–एक नामिती निदेशक और एनटीपीसी लिमिटेड से दो नामिती निदेशक शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, 09.11.2024 तक बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशक मौजूद थे।

2.2 निदेशक मंडल का ब्यौरा

निदेशक मंडल का विवरण अर्थात् उनके नाम, पदनाम, अन्य कंपनियों में उनके द्वारा धारित निदेशक–पदों और समिति की अध्यक्षता / सदस्यता की संख्या और अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम, जिनमें निदेशक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार निदेशक पद पर आसीन हैं, निम्नानुसार हैं:

क्रमांक	निदेशक का नाम	पदनाम	धारित अन्य निदेशक–पद की संख्या	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में धारित निदेशक–पद और निदेशक–पद की श्रेणी	अन्य सार्वजनिक कंपनियों की लेखापरीक्षा / हितधारक समितियों में धारित सदस्यता की संख्या	
					अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
1.	श्री राजीव कुमार विश्नोई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	3	–	–	–
2.	श्री शैलेंद्र सिंह	निदेशक (कार्मिक)	–	–	–	1
3.	श्री भूपेंद्र गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	2	–	–	–
4.	श्री सिपन कुमार गर्ग*	निदेशक (वित्त)	1	–	–	1
5.	श्री पीयूष सिंह**	नामिती निदेशक, भारत सरकार	2	1	–	1
6.	श्री अनिल गर्ग	नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार	2	–	–	–
7.	श्री वीरेन्द्र मलिक***	एनटीपीसी लिमिटेड नामिती निदेशक	5	–	1	4
8.	श्री के.एस. सुन्दरम्****	एनटीपीसी लिमिटेड नामिती निदेशक	9	2	–	4

*श्री सिपन कुमार गर्ग को 17.08.2024 से टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया।
**श्री पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव (थर्मल) को 11.06.2024 से टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
***श्री वीरेंद्र मलिक, कार्यकारी निदेशक (वित्त), एनटीपीसी को 31.07.2024 से टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में एनटीपीसी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
****श्री के. एस. सुंदरम, निदेशक (परियोजनाएं), एनटीपीसी को 24.10.2024 से टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

2.3 वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन

क) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 2–20/5/2022–प्रशासन–II (एमओपी) दिनांक 30.05.2024 के तहत टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में श्री अजय तिवारी, अपर सचिव (हाइड्रो) का नामांकन 31.05.2024 से वापस ले लिया।

ख) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यालय आदेश संख्या एफ. सं.14–37/38/2023–एच.आई (270636) दिनांक 11.06.2024 के तहत श्री पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव (थर्मल) को टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में 11.06.2024 से नियुक्त किया।

ग) विद्युत मंत्रालय ने कार्यालय आदेश संख्या एफ.सं.14–37/38/2023–एच.आई (270463) दिनांक 31.07.2024 के तहत श्री एस. एन. त्रिपाठी, क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक (हाइड्रो), एनटीपीसी लिमिटेड को 31.07.2024 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में एनटीपीसी नामिती निदेशक नियुक्त किया।

घ) विद्युत मंत्रालय ने कार्यालय आदेश संख्या एफ.सं.14–37/38/2023–एच.आई (270463) दिनांक 31.07.2024 के तहत श्री वीरेंद्र मलिक, कार्यकारी निदेशक (वित्त), एनटीपीसी को 31.07.2024 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में एनटीपीसी नामिती निदेशक नियुक्त किया।

ङ) एनटीपीसी लिमिटेड ने अपने पत्र संख्या 01:एसईसी:टीएच डीसी:जेवी:1 दिनांक 31.05.2024 के माध्यम से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में एनटीपीसी नामिती निदेशक के रूप में श्री जयकुमार श्रीनिवासन का नामांकन 31.07.2024 से वापस ले लिया।

च) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने आदेश संख्या 14–11/2/2023–एच.आई (266870) दिनांक 16.08.2024 के माध्यम से श्री सिपन कुमार को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक (वित्त) नियुक्त किया और उन्होंने 17.08.2024 से कार्यभार ग्रहण किया।

छ) सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर, श्री एस. एन. त्रिपाठी 30.09.2024 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में एनटीपीसी नामिती निदेशक नहीं रहे।

ज) विद्युत मंत्रालय ने कार्यालय आदेश संख्या एफ.सं. 14–37/38/2023–एच.आई (270463) दिनांक 24.10.2024 के तहत एनटीपीसी लिमिटेड के निदेशक (परियोजनाएं) श्री के.एस. सुंदरम को 24.10.2024 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में नामिती निदेशक नियुक्त किया।

झ) तीन वर्ष के अपने–अपने कार्यकाल पूरे होने पर श्री जयप्रकाश नाईक बी. और श्रीमती सजल झा 09.11.2024 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

बोर्ड का कोई भी निदेशक सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 26 के तहत निर्धारित सभी सार्वजनिक कंपनियों में 10 से अधिक समितियों का सदस्य या 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है।

कंपनी का कोई भी निदेशक, कंपनी के अन्य निदेशकों से परस्पर संबंधित है।

2.4 निदेशकों की आयु–सीमा तथा कार्यकाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि या अधिवर्षिता की आयु पूरी करने, जो भी पहले हो, तक के लिए की जाती है।

गैर–कार्यपालक निदेशक भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पदेन हैसियत से कार्य कर रहे हैं और उस मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग से सेवा समाप्त हो जाने पर वे सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा टीएचडीसीआईएल में नियुक्त नामित निदेशकों का निदेशक पद एनटीपीसी लिमिटेड में निदेशक पद पर रहने और एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में अपने नामांकन वापिस लेने तक, जो भी पहले हो, सह–मियादी (कोटर्मिनस) होगा। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आमतौर पर तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाती है।

2.5 निदेशकों की प्रोफाइल

निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल, जिसमें उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि, अनुभव का क्षेत्र आदि शामिल हैं, कॉर्पोरेट सिंहावलोकन खंड – वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल के अंतर्गत दिया गया है।

2.6 निदेशकों की मुख्य दक्षताएँ

बोर्ड में योग्य सदस्य होते हैं जो बोर्ड और समिति की बैठकों में विचार–विमर्श में प्रभावी रूप से योगदान करने के लिए आवश्यक कौशल, क्षमता और विशेषज्ञता रखते हैं। निदेशकों द्वारा धारित कौशल, विशेषज्ञता और दक्षताओं का सारांश अनुलग्नक–I में दिया गया है। यह उल्लेख करना उचित है कि एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।

2.7 निदेशकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

नए निदेशक की भर्ती के समय उनके नाम एक अभिवादन पत्र दिया जाता है जिसके साथ निदेशक के रूप में निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों एवं दायित्वों का ब्यौरा होता है। बोर्ड के सदस्य अपनी आवश्यकता के आधार पर समय–समय पर विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। कंपनी और अन्य एजेंसियों/संस्थानों द्वारा समय–समय पर निदेशकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि नेतृत्व गुणों, ज्ञान और कौशल का स्तरोन्नयन किया जा सके। यह प्रशिक्षण, उन्हें क्षेत्र के साथ–साथ कंपनी की

बेहतर समझ प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है। निदेशकों को समय–समय पर विधायी / विनियामक परिवर्तनों सहित भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट और आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन / विकास के बारे में भी जानकारी दी जाती है। स्वतंत्र निदेशकों को प्रवेश के समय एक परिचय कार्यक्रम दिया जाता है जिसमें संगठन की संरचना, सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यमों, कंपनी के व्यवसाय मॉडल, व्यवसाय के जोखिम प्रोफाइल, स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका और जिम्मेदारियों आदि पर प्रकाश डाला जाता है। निदेशकों को प्रदान किए गए परिचय कार्यक्रम और प्रशिक्षण का विवरण वेबलिंक https://www.thdc.co.in/en/content/ familiarization-programme पर है।

2.8 वर्ष 2024–25 के दौरान निदेशकों की नियुक्ति और कार्यकाल समापन

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए टीएचडीसीआईएल में निदेशक पद की नियुक्ति और कार्यकाल समापन का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	प्रभावी तिथि	निदेशक रूप में परिवर्तन
1	श्री अजय तिवारी, अंशकालिक नामिती निदेशक, भारत सरकार, डीआईएन: 09633300	31.05.2024	एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा नामांकन वापिस
2	श्री पीयूष सिंह, अंशकालिक नामिती निदेशक, भारत सरकार, डीआईएन: 07492389	11.06.2024	नियुक्ति
3	श्री जयकुमार श्रीनिवासन, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड, डीआईएन: 01220828	31.07.2024	एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा नामांकन वापिस
4	श्री एस.एन. त्रिपाठी, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड, डीआईएन: 10428360	31.07.2024	नियुक्ति
5	श्री वीरेंद्र मलिक, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड, डीआईएन: 10427762	31.07.2024	नियुक्ति
6	श्री सिपन कुमार गर्ग, निदेशक (वित्त), डीआईएन: 10746205	17.08.2024	नियुक्ति
7	श्री एस.एन. त्रिपाठी, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड, डीआईएन: 10428360	30.09.2024	सेवानिवृत्ति
8	श्री के.एस. सुंदरम, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड, डीआईएन: 10347322	24.10.2024	नियुक्त
9	डॉ. जयप्रकाश नाईक बी., स्वतंत्र निदेशक, डीआईएन: 09423574	09.11.2024	कार्यकाल समाप्त
10	श्रीमती सजल झा, स्वतंत्र निदेशक, डीआईएन: 09402663	09.11.2024	कार्यकाल समाप्त

3. बोर्ड की बैठकें तथा उपस्थिति

निदेशक मंडल उचित अग्रिम सूचना के साथ बैठकें आयोजित कराता है। तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए, सांविधिक प्रावधानों का पालन करते हुए, बोर्ड की बैठकें अल्पावधि सूचना पर भी आमंत्रित की जा सकती हैं। अत्यावश्यक स्थितियों में, कानून में अनुमेय होने पर, प्रस्तावों को परिचालन के माध्यम से पारित किया गया। विस्तृत एजेंडा नोट्स, प्रबंधन रिपोर्ट और व्याख्यात्मक विवरण आम तौर पर बोर्ड बैठक से कम से कम एक सप्ताह पहले प्रसारित किए जाते हैं, जिससे सार्थक, सुविज्ञ और केंद्रित चर्चा सुनिश्चित होती है।

बोर्ड के सदस्यों की उपलब्धता के आधार पर बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड, दोनों तरह से आयोजित की जाती हैं। ऑनलाइन बैठकें लागू कानूनों के पूर्ण अनुपालन में आयोजित की जाती हैं और वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाया जाता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की नौ (9) बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें दो बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से अधिक का कोई अंतराल नहीं था।

क्रम सं.	बैठकों की संख्या	बोर्ड की बैठक की तारीख	निदेशकगण	उपस्थिति
1.	244वीं	20 अप्रैल 2024	8	7
2.	245वीं	16 मई 2024	8	6
3.	246वीं	6 अगस्त 2024	9	8
4.	247वीं	16 अगस्त 2024	9	8
5.	248वीं	27 सितंबर 2024	10	9
6.	249वीं	8 नवंबर 2024	10	9
7.	250वीं	26 दिसंबर 2024	8	7
8.	251वीं	7 फरवरी 2025	8	8
9.	252वीं	22 फरवरी 2025	8	7

सभी बैठकों के लिए आवश्यक गणपूर्ति (कोरम) मौजूद थी। नीचे दी गई तालिका में वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति और पिछली वार्षिक आम बैठक में उनकी उपस्थिति को दर्शाया गया है:

निदेशक का नाम एवं पदनाम	दौरान हुई बैठक	बोर्ड बैठकें		(27 सितंबर 2024 को आयोजित) में उपस्थिति
		जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत	
कार्यात्मक निदेशक				
श्री आर. के. विश्नोई* **(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)**	9	9	100%	भाग लिया
श्री शैलेंद्र सिंह **निदेशक (कार्मिक)**	9	9	100%	भाग लिया
श्री भूपेन्द्र गुप्ता **निदेशक (तकनीकी)**	9	9	100%	भाग लिया
श्री सिपन कुमार गर्ग (टिप्पणी 1) **निदेशक (वित्त)**	5	5	100%	भाग लिया
नामिती निदेशक				
श्री पीयूष सिंह (टिप्पणी 2) **भारत सरकार के नामिती निदेशक**	7	7	100%	भाग लिया
श्री अनिल गर्ग **उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक**	9	1	11%	भाग नहीं लिया
श्री एस एन त्रिपाठी (टिप्पणी 3) **एनटीपीसी के नामिती निदेशक**	3	3	100%	भाग लिया
श्री वीरेंद्र मलिक (टिप्पणी 4) **एनटीपीसी के नामिती निदेशक**	7	7	100%	भाग लिया
श्री के. एस. सुंदरम् (टिप्पणी 5) **एनटीपीसी के नामिती निदेशक**	4	4	100%	लागू नहीं
श्री अजय तिवारी (टिप्पणी 6) **भारत सरकार के नामिती निदेशक**	2	1	50%	लागू नहीं
श्री जयकुमार श्रीनिवासन (टिप्पणी 7) **एनटीपीसी के नामिती निदेशक**	2	2	100%	लागू नहीं
स्वतंत्र निदेशक				
श्रीमती सजल झा (टिप्पणी 8) **स्वतंत्र निदेशक**	6	6	100%	भाग लिया
डॉ जयप्रकाश नाईक बी. (टिप्पणी 8) **स्वतंत्र निदेशक**	6	6	100%	भाग लिया

1. श्री सिपन कुमार गर्ग को 17.08.2024 से बोर्ड में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया।
2. श्री पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव (थर्मल), को 11.06.2024 से सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
3. श्री एस. एन. त्रिपाठी को 31.07.2024 से एनटीपीसी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और 30.09.2024 को सेवानिवृत्ति पर उनका कार्यकाल समाप्त हो गया।
4. श्री वीरेंद्र मलिक को 31.07.2024 से एनटीपीसी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
5. श्री के. एस. सुंदरम को 24.10.2024 से एनटीपीसी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
6. सरकारी नामित निदेशक के रूप में श्री अजय तिवारी का नामांकन 31.05.2024 से वापस ले लिया गया।
7. एनटीपीसी नामिती निदेशक के रूप में श्री जयकुमार श्रीनिवासन का नामांकन 31.07.2024 से वापस ले लिया गया।
8. श्री जयप्रकाश नाईक बी. और श्रीमती सजल झा स्वतंत्र निदेशक को 09.11.2024 को कार्यकाल पूरा गया।

4. निदेशकों के पारिश्रमिक एवं प्रकटीकरण:

हमारी कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी कंपनी है, अत: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों और अन्य निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक के संबंध में निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार लिया जाता है और इसकी सूचना भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक विभाग को दी जाती है। कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक डीपीई द्वारा समय-समय पर जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार तय किया जाता है।

इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम की धारा 197 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 4 के अनुसार बोर्ड तथा समिति (बैठक में भाग लेने के शुल्क का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाता है) की बैठकों मे भाग लेने के लिए ₹30,000 प्रति बैठक की दर से बैठक में भाग लेने के शुल्क का भुगतान किया जाता है। अंशकालिक निदेशकों को सरकार और एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा पदेन क्षमता में नामित किया जाता है और उन्हें कंपनी से किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक / बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भुगतान किए गए शुल्क (जीएसटी को छोड़कर) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(राशि रु में)

क्रमांक	स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क			कुल*
		बोर्ड बैठक	समिति की बैठकें	स्वतंत्र निदेशकों की बैठक	
1.	डॉ जयप्रकाश नाईक बी.	180000	300000	30000	510000
2.	श्रीमती सजल झा	180000	150000	30000	360000

* बैठक शुल्क की राशि में जीएसटी शामिल नहीं है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि रु. में)

क्रम सं.	नाम	पदनाम	वेतन और भत्ते*	बोनस और कमीशन	कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी)	कुल
1	श्री आर.के. विश्नोई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	68,00,739	–	13,21,883	81,22,622
2	श्री भूपेन्द्र गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	44,02,377	–	5,33,557	49,35,934
3	श्री शैलेंद्र सिंह	निदेशक (कार्मिक)	54,44,861	–	6,06,599	60,51,460
4	श्री सिपन कुमार गर्ग	निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	24,88,357	–	–	24,88,357
5	श्री अजय कुमार गर्ग	मुख्य वित्तीय अधिकारी (01.04.2024 से 27.09.2024 तक)	23,88,868	–	1,19,383	25,08,251
6	सुश्री रश्मि शर्मा	कंपनी सचिव	20,82,745	–	1,46,920	22,29,665

* वेतन में मूल वेतन, महंगाई भत्ता (डीए) और अनुलाभ एवं भत्ते, अवकाश नकदीकरण और अन्य अनुलाभ शामिल हैं।

5. बोर्ड की स्वतंत्रता:

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम और एलओडीआर 2015 के उपबंधों के अनुसार स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करने की घोषणा प्रस्तुत की है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें कंपनी की वेबसाइट **https://thdc.co.in/sites/default/files/Appointment_Independent_Directors.pdf** पर उपलब्ध हैं।

6. केएमपी (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक)

कंपनी (प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 203 (1) अनुसार, निर्धारित वर्ग या वर्गों की प्रत्येक कंपनी के पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (के.एम.पी.) होने चाहिए। तदनुसार, 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार टीएचडीसीआईएल निम्नलिखित मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक नामोनिर्दिष्ट किए हैं।

क. श्री आर के विश्नोई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ख. श्री सिपन कुमार गर्ग, मुख्य वित्तीय अधिकारी

ग. सुश्री रश्मि शर्मा, कंपनी सचिव

7. बोर्ड के सदस्यों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकनः

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463(च) के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (2) के प्रावधानों से छूट दी है, जो नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा निदेशक मंडल, बोर्ड समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के कार्य–निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित है। इस अधिसूचना के अंतर्गत सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों को धारा 134(3)(त) से भी छूट दी गई है, जिसके लिए बोर्ड की रिपोर्ट में बोर्ड, उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों की औपचारिक मूल्यांकन प्रक्रिया का विवरण देना आवश्यक है, बशर्ते कि मूल्यांकन संबंधित मंत्रालय द्वारा या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विभाग द्वारा, उनकी कार्यप्रणाली के अनुसार किया जाता है। चूंकि हमारी कंपनी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, इसलिए हमें निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कोई नीति बनाने की आवश्यकता नहीं है।

कार्यात्मक निदेशकों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जबकि नामिती निदेशकों का मूल्यांकन उनकी संबंधित कंपनियों और विभागों द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा किया जाता है। हालाँकि, (सेबी) एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 और विनियम 25 के प्रावधानों के अनुपालन में, निदेशकों द्वारा निष्पादन मूल्यांकन किया गया था।

8. स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठकें:

कंपनी अधिनियम और एलओडीआर 2015 के अनुपालन में 27 सितम्बर, 2024 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई, जिसमें गैर–स्वतंत्र निदेशकगण और प्रबंधन के सदस्य मौजूद नहीं थे।

स्वतंत्र निदेशकों ने अपनी बैठक में गैर–स्वतंत्र निदेशकों, कंपनी के अध्यक्ष और समग्र रूप से बोर्ड के कार्य–निष्पादन की समीक्षा की। स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का भी आकलन किया।

9. बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया–विधियां:

9.1 निर्णय लेने की प्रक्रियाः

कंपनी ने दिशा–निर्देशों का सेट निर्धारित किया है तथा निदेशक मंडल की बैठकों के लिए सचिवालय मानकों का अनुसरण करती है ताकि सभी कॉर्पोरेट मामलों को पेशेवर तरीके से किया जा सके। इन दिशा–निर्देशों में बोर्ड की बैठकों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को संसूचित तथा कार्यकुशल तरीके से प्रणालीबद्ध बनाने की अपेक्षा की जाती है।

9.2 बोर्ड की बैठकों के लिए कार्यसूची मदों का निर्धारण तथा चयनः

क. बैठक की तारीखों को आमतौर पर सभी निदेशकों के परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाता है, ताकि बोर्ड के सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। बोर्ड के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपयुक्त रूप से नोटिस देकर बैठकें बुलाई जाती हैं। विस्तृत कार्यसूची टिप्पणी, प्रबंधन रिपोर्ट, निदेशकों को पर्याप्त समय देते हुए अग्रिम रूप से परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठक के दौरान सार्थक, संसूचित और केन्द्रित निर्णयों को लिया जा सकें।

ख. विशिष्ट तत्काल व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, कभी–कभी लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में अल्पावधि नोटिस पर भी बैठकें बुलाई जाती हैं और नोटिस एवं एजेंडा की न्यूनतम अवधि का पालन करने के लिए यथासंभव प्रयास किए जाते हैं। कुछ मामलों में, प्रस्तावों को प्रचालन द्वारा पारित किया जाता है जिन्हें बोर्ड की अगली बैठक में टिप्पणी किया जाता है।

ग. अत्यावश्यक मामलों में, संबंधित अध्यक्ष का अनुमोदन और बोर्ड के निदेशकों का बहुमत प्राप्त करने के बाद ही एजेंडा प्रस्तुत किया जाता है।

घ. कार्यसूची के कतिपय मामलों के संबंध में बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुतीकरण दिए जाते हैं ताकि सदस्यगण पर्याप्त जानकारी और सूचना सहित निर्णय ले सकें।

ङ. बोर्ड के सदस्यों के पास कंपनी की सभी जानकारियां होती हैं। बोर्ड कार्यसूची में ऐसा कोई भी मुद्दा शामिल करने की सिफारिश कर सकता है जिसे वह महत्वपूर्ण समझता है। बोर्ड द्वारा विचार किए जाने वाले मामलों के संबंध में जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है वरिष्ठ प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों को विशेष आमंत्रिती के रूप में अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए बुलाया जाता है।

9.3 बोर्ड / समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को रिकार्ड करनाः

प्रत्येक बोर्ड / समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त के मसौदे को बैठक के बाद पन्द्रह दिन के भीतर सभी सदस्यों को उनकी अभ्युक्तियों हेतु परिचालित किया जाता है। निदेशक कार्यवृत्त के मसौदे पर इसके प्रचालन की तारीख से सात दिन के भीतर अपनी अभ्युक्तियां देते हैं। निदेशकों से प्राप्त सभी अभ्युक्तियों की तुलनात्मक शीट अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / संबंधित समिति के अध्यक्ष को विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती है। प्रत्येक बोर्ड / समिति की कार्यवाही का अनुमोदित कार्यवृत्त, कार्यवृत्त पुस्तिका में विधिवत अभिलिखित किया जाता है और बोर्ड एवं समिति के सदस्यों को परिचालित किया जाता है।

9.4 अनुवर्ती कार्रवाई तंत्रः

बोर्ड की बैठकों में बोर्ड द्वारा जारी निदेशों को नियमित रूप से संबंधित विभागों को संप्रेषित किया जाता है एवं बोर्ड के निर्णयों पर की गई कार्रवाई अनुवर्ती बोर्ड बैठकों में बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुत की जाती है जिससे अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावी रिपोर्टिंग तथा निर्णयों की समीक्षा करने में सहायता में मिलती है।

9.5 अनुपालनः

हमारी प्रतिबद्धता सभी लागू कानूनों, नियमों और दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। कंपनी कंपनी अधिनियम, सेबी (एलओडीआर) 2015, कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देश और अन्य सांविधिक आवश्यकताओं, यथा लागू, का पालन करती है। कंपनी बोर्ड और शेयरधारकों की बैठकों के संबंध में सचिवीय मानकों का भी अनुपालन कर रही है। निदेशक मंडल समय–समय पर अपने समक्ष रखी गई कानूनी अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करता है।

9.6 निदेशक मंडल के समक्ष रखी जाने वाली सूचनाएं:

क. अनुमोदन और सूचना हेतु, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सभी परियोजनाओं से संबंधित सभी तकनीकी मामले।

ख. वार्षिक प्रचालन योजना, बजट और संगत अद्यतन जानकारी।

ग. पूंजीगत बजट तथा संगत अद्यतन जानकारी।

घ. निधियां जुटाने संबंधी प्रस्ताव।

ङ. वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए प्रस्ताव।

च. कंपनी के तिमाही/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम।

छ. पिछली बोर्ड बैठकों, कंपनी की समिति की बैठकों और सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त।

ज. निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति या कार्यकाल समापन की जानकारी।

झ. बोर्ड की शक्तियों के अनुसार सामान्य व्यवसाय मामले।

ञ. बड़े निवेश, सहायक कंपनियों का निर्माण, संयुक्त उपक्रम और रणनीतिक गठजोड़।

ट. खरीदारी/कार्य/नामांकन आधार पर अवार्ड की गई संविदाओं से संबंध में तिमाही सूचना।

ठ. परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की स्थिति।

ड. विभिन्न कानूनों के अनुपालन की तिमाही रिपोर्ट।

ढ. निदेशकों की उनके निदेशक पद के बारे में रूचि का प्रकटीकरण।

ण. महत्वपूर्ण पूंजी निवेश के प्रस्ताव या बड़े ठेके अवार्ड करना।

त. मध्यस्थता मामलों की स्थिति।

थ. महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे वेतन समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि।

द कारण बताओ, मांग, अभियोजन नोटिस और दंड नोटिस, यदि कोई हो, जो महत्वपूर्ण हैं, ।

ध. घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई भी सामग्री बहिःस्राव या प्रदूषण की समस्या, यदि कोई हो।

न. कोई भी मुद्दा, जिसमें पर्याप्त प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देयता दावे शामिल हैं, जिसमें कोई भी निर्णय या आदेश शामिल है, जो कंपनी के आचरण पर सख्ती से पारित हो सकता है या किसी अन्य उद्यम के बारे में प्रतिकूल दृष्टिकोण ले सकता है जिसका कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

प महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तन एवं उसके कारणों सहित पद्धतियां।

फ. सूचीबद्ध इकाई और उसके प्रचालनात्मक संभागों या व्यावसायिक खंडों के लिए तिमाही परिणाम।

ब. सूचीबद्ध इकाई में और उसके द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई भी महत्वपूर्ण चूक, या सूचीबद्ध इकाई द्वारा विक्रय किए गए माल के लिए महत्वपूर्ण गैर–भुगतान।

भ. निवेश, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों, जो भौतिक प्रकृति के हैं और व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं हैं, की बिक्री।

म. लागू कानूनों की अपेक्षाओं के अनुसार बोर्ड की सूचनाएं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित कोई अन्य सूचना।

10. निदेशक मंडल की समितियां:

प्रभावी निर्णय लेने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, निदेशक मंडल ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विभिन्न सांविधिक और गैर–सांविधिक समितियों का गठन किया है। बोर्ड की प्रत्येक समिति इसके विचारार्थ विषयों द्वारा निर्देशित होती है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर), 2015 में यथाविनिर्दिष्ट समिति की संरचना, कार्यक्षेत्र और शक्तियों को परिभाषित करती है। समितियां नियमित अंतराल पर बैठक करती हैं और विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और उन्हें सौंपे गए अधिकार के भीतर सुविज्ञ निर्णय लेती हैं। ऐसी समितियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

11. लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति की संरचना, कार्यक्षेत्र इत्यादि कंपनी अधिनियम, एलओडीआर 2015 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

11.1 लेखापरीक्षा समिति की संरचना

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	डॉ. जयप्रकाश नाईक बी, स्वतंत्र निदेशक (09.11.2024 तक)	अध्यक्ष
2.	श्रीमती सजल झा, स्वतंत्र निदेशक (09.11.2024 तक)	सदस्य
3.	श्री वीरेंद्र मलिक, एनटीपीसी के नामिती निदेशक (02.08.2024 से नियुक्त)	सदस्य
4.	श्री जयकुमार श्रीनिवासन, एनटीपीसी नामिती निदेशक (31.07.2024 से सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्त)	सदस्य

लेखा परीक्षा समिति 8 नवंबर, 2024 तक कार्यशील रही। कंपनी अधिनियम और सेबी विनियमों की वैधानिक आवश्यकता के अनुसार, समिति में एक स्वतंत्र निदेशक शामिल होना आवश्यक है। हालाँकि, टीएचडीसीआईएल के स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 9 नवंबर, 2024 को पूरा हो गया। परिणामस्वरूप, समिति 9 नवंबर, 2024 से निष्क्रिय हो गई।

निदेशक (वित्त) और/या सीएफओ आमतौर पर विशेष आमंत्रित के रूप में बैठकों में भाग लेते हैं, और किसी भी बैठक को आगे बढ़ाने के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक है, भले ही वे समिति के आधिकारिक सदस्य न हों। कार्यकारी निदेशकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों और संबंधित विभागाध्यक्षों को विशेष रूप से लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थित होने की आवश्यकता पड़ने पर विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव, लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

11.2 विचारार्थ विषय

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क. सूचीबद्ध इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और

इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।

ख. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और निष्कासन पर ध्यान देना।

ग. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा शुल्क की सिफारिश करना और किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान की मंजूरी भी देना।

घ. निम्नलिखित के संदर्भ में अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन, वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना,

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ग) के तहत बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले;

(ख) लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो और उनके कारण;

(ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय के अभ्यास के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखा प्रविष्टियां;

(घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;

(ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीबद्धता एवं कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;

(च) किसी भी संबंधित पक्षकार लेनदेन का प्रकटीकरण;

(छ) यथालागू लेखांकन मानकों के साथ अनुपालन;

(ज) मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय;

ङ. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही/छमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना;

च. प्रबंधन के साथ, किसी निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य निर्गम, आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/प्रयोग के विवरण की समीक्षा करना, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणिका/ सार्वजनिक या अधिकार निर्गम की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत नोटिस और रिपोर्ट, और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना;

छ. संबंधित पक्षकारों के साथ सूचीबद्ध इकाई के लेनदेन की मंजूरी या बाद में कोई संशोधन

ज. अंतर–कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की जांच

झ. सूचीबद्ध इकाई के उपक्रमों या संपत्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक हो

ञ. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन

ट. प्रबंधन के साथ, सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना, लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और प्रभावकारिता की निगरानी करना;

ठ. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग के प्रमुख अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति की समीक्षा करना।

ड. आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है और मामले को बोर्ड को सूचित करना

ढ. लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा, लेखा परीक्षा की प्रकृति और दायरे के साथ–साथ चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के बाद की चर्चा

ण. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की जांच करना

त. व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना

थ. इस प्रावधान के लागू होने की तारीख की स्थिति के अनुसार मौजूदा ऋण/अग्रिम/निवेश सहित सहायक कंपनी में होल्डिंग कंपनी द्वारा रु100 करोड़ या सहायक कंपनी की संपत्ति के आकार का 10% जो भी कम हो, से अधिक के ऋण और/या अग्रिम/निवेश के उपयोग की समीक्षा करना

द. सूचीबद्ध इकाई और उसके शेयरधारकों पर विलय, डीमर्जर, समामेलन आदि से जुड़ी योजनाओं के औचित्य, लागत–लाभ और प्रभाव पर विचार और टिप्पणी करना

ध. प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और समीक्षा करना:

(क) वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष, जिसमें पिछली लेखापरीक्षा अनुशंसाओं की स्थिति भी शामिल है

(ख) लेखापरीक्षा कार्य के दौरान आने वाली कोई भी कठिनाई, जिसमें गतिविधियों के दायरे पर कोई प्रतिबंध या आवश्यक जानकारी तक पहुंच शामिल है

न. स्वतंत्र लेखा परीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और समीक्षा करना:

(क) कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, और

(ख) स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक के संबंधित निष्कर्ष और सिफारिशें, प्रबंधन प्रतिक्रियाओं के साथ

प. सीएएंडजी की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना

फ. संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना

ब. स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार का एक खुला अवसर प्रदान करना

भ. कंपनी में सभी संबंधित पक्ष लेनदेन की समीक्षा और अनुमोदन

म. कवरेज की पूर्णता, अनावश्यक प्रयासों में कमी और सभी लेखापरीक्षा संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वय की स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ समीक्षा करना

य. आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य के प्रभावी निष्पादन के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक के परामर्श से आंतरिक लेखापरीक्षा

आयोजित करने का दायरा/कार्यप्रणाली/आवधिकता और कार्यप्रणाली तैयार करना

र. लेखापरीक्षा और अन्य सेवाओं के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और शुल्क, यदि कोई हो, के निर्धारण के लिए बोर्ड को सिफारिश करना

ल. बोर्ड को कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और यदि आवश्यक हो, लागत लेखा परीक्षकों को बदलने या हटाने और उनके पारिश्रमिक और नियुक्ति की अन्य शर्तों की सिफारिश करना

व. उसमें शामिल प्रत्येक आरक्षण या योग्यता पर पूरी जानकारी और स्पष्टीकरण के साथ लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करना और विचारार्थ बोर्ड को रिपोर्ट की सिफारिश करना

श. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखापरीक्षा के दायरे, जिसमें लेखापरीक्षकों की टिप्पणियाँ और बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय विवरण की समीक्षा शामिल है, के बारे में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियाँ माँगना और आंतरिक और सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के प्रबंधन के साथ किसी भी संबंधित मुद्दे पर चर्चा करना

ष. स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जाने वाली निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित विचलन के लिए तिमाही विवरण की समीक्षा

स. जहां भी आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या संपत्तियों के मूल्यांकन की समीक्षा करना

ह. लेखापरीक्षा समिति लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करते समय कंपनी के लेखापरीक्षकों और मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सुनवाई का अधिकार देगी

क्ष. लेखापरीक्षा समिति वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए स्थापित सतर्कता तंत्र की निगरानी करेगी और ऐसे तंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करेगी। लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष उचित और असाधारण मामलों में सीधे पहुंच योग्य होगा

कक. ऐसे अन्य कार्य करना जो कंपनी के निदेशक मंडल और/या निदेशकों की अन्य समितियों द्वारा विशेष रूप से समिति को निर्दिष्ट किए जाएं

ख. निम्नलिखित से संबंधित निरीक्षण कार्यों में बोर्ड की सहायता करना

क. लेखापरीक्षित और गैरलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में निहित प्रकटीकरण की गुणवत्ता और अखंडता

ख. समय–समय पर स्थापित आंतरिक नियंत्रणों की अखंडता; और

ग. कंपनी का निवेश

गग. अभ्यर्थी की अर्हता, अनुभव और पृष्ठभूमि इत्यादि का मूल्यांकन करने के बाद मुख्य वित्त अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन

11.3 लेखापरीक्षा समिति की शक्तियां

अपनी भूमिका के अनुरूप, टीएचडीसीआईएल की लेखा परीक्षा समिति को निदेशक मंडल द्वारा पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क. अपने विचारार्थ विषयों के भीतर किसी भी गतिविधि की जांच करना।

ख. किसी भी कर्मचारी से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना।

ग. निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन, बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना।

घ. यदि आवश्यक समझा जाए तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

ङ. ब्लिसल ब्लोअर की सुरक्षा करना।

11.4 लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा

लेखा परीक्षा समिति ने नियमित आधार पर निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा की:

क. वित्तीय स्थिति और प्रचालन के परिणामों की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण;

ख. प्रबंधन द्वारा संबंधित पक्षकार लेनदेन का विवरण;

ग. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र;

घ. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट; और

ङ. आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति और निष्कासन; और

च. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणीकरण/घोषणा।

11.5 बैठकें और उपस्थिति

वर्ष 2024–25 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित की गई और समिति के सदस्यों की उपस्थिति सहित विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	बैठक की तारीख				कार्यकाल के दौरान हुई कुल बैठकें	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का %
	16.05.2024	06.08.2024	27.09.2024	08.11.2024			
डॉ. जयप्रकाश नाईक बी	✓	✓	✓	✓	4	4	100%
श्रीमती सजल झा	✓	✓	✓	✓	4	4	100%
श्री वीरेंद्र मलिक	लागू नहीं	✓	✓	✓	3	3	100%
श्री जयकुमार श्रीनिवासन	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1	100%

12 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम की धारा और एलओडीआर–2015 के विनियमन 19 और डीपीई दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार, एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन किया गया है।

कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक को छोड़कर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल और पारिश्रमिक भी भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है।

चूंकि निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, तदनुसार, निदेशकों का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह भी ध्यातव्य है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं, निदेशकों की स्वतंत्रता निर्धारित करने के लिए निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति तैयार करने और बोर्ड, उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन करने से संबंधित आवश्यकताओं से छूट दी है।

12.1 नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	श्रीमती सजल झा, स्वतंत्र निदेशक (09.11.2024 तक)	अध्यक्ष
2.	डॉ. जयप्रकाश नाईक बी., स्वतंत्र निदेशक (09.11.2024 तक)	सदस्य
3.	श्री पीयूष सिंह, नामिती निदेशक, भारत सरकार (02.08.2024 से नियुक्त)	सदस्य
4.	श्री अजय तिवारी, नामिती निदेशक, भारत सरकार (31.05.2024 से सदस्य नहीं रहे)	सदस्य
5.	श्री जयकुमार श्रीनिवासन, एनटीपीसी नामिती निदेशक (31.07.2024 से सदस्य नहीं रहे)	सदस्य
6.	श्री एस.एन. त्रिपाठी, एनटीपीसी नामिती निदेशक (02.08.2024 से 30.09.2024तक)	सदस्य
7.	श्री के.एस. सुंदरम, एनटीपीसी नामिती निदेशक (28.10.2024 से नियुक्त)	सदस्य

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति 8 नवंबर, 2024 तक क्रियाशील रही। कंपनी अधिनियम और सेबी विनियमों की वैधानिक आवश्यकता के अनुसार, समिति में एक स्वतंत्र निदेशक का होना अनिवार्य है। हालाँकि, टीएचडीसीआईएल के स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 9 नवंबर, 2024 को पूरा हो गया। परिणामस्वरूप, समिति 9 नवंबर, 2024 से निष्क्रिय हो गई।

कंपनी सचिव नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

12.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

क. वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल/प्रदर्शन संबंधित वेतन (पीआरपी) और निर्धारित सीमा के भीतर अधिकारियों और गैर–संघीय पर्यवेक्षकों के बीच इसके वितरण के लिए नीति तय करना।

ख. किसी निदेशक की योग्यता, सकारात्मक गुण और स्वतंत्रता निर्धारित करने के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशक मंडल को वेतन, भत्ते, भत्ते और निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों और कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति से संबंधित सभी मामलों की सिफारिश करना।

ग. स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना।

घ. एक स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए, नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड में कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करेगी और इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर, एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यक भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करेगी। स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को अनुशंसित व्यक्ति के पास ऐसे विवरण में पहचानी गई क्षमताएं होंगी। उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से, समिति यह कर सकती है:

(क) यदि आवश्यक हो तो बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करना;

(ख) विविधता का उचित सम्मान करते हुए विभिन्न पृष्ठभूमियों के उम्मीदवारों पर विचार करना; और

(ग) उम्मीदवारों की समय प्रतिबद्धता पर विचार करना।

ङ. ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के लिए योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना।

च. स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि बढ़ाई जाए या जारी रखी जाए।

छ. निदेशक मंडल की विविधता पर एक नीति तैयार करना।

ज. कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत आवश्यक कोई अन्य कार्य करना।

12.3 बैठक और उपस्थिति

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की एक (1) बैठक हुई। समिति की बैठक में उपस्थिति सहित बैठक का विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	बैठक की तारीख 08.11.2024	कार्यकाल के दौरान हुई कुल बैठकें	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का %
श्रीमती सजल झा	✓	1	1	100%
डॉ जयप्रकाश नाईक बी.	✓	1	1	100%
श्री के.एस. सुंदरम	✓	1	1	100%
श्री पीयूष सिंह	–	1	0	0
श्री अजय तिवारी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री जयकुमार श्रीनिवासन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री एस.एन. त्रिपाठी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

13 हितधारक संबंध समिति

इस समिति का गठन एलओडीआर–2015 और कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप किया गया है। यह कंपनी के प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों पर विचार करती है और उनका समाधान करती है, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, लाभांश की प्राप्ति न होना आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं। समिति शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन और सूचीबद्ध इकाई द्वारा किए गए उपायों और पहलों की भी समीक्षा करती है।

13.1 हितधारक संबंध समिति की संरचना

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, हितधारक संबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	श्रीमती सजल झा, स्वतंत्र निदेशक (09.11.2024 तक)	अध्यक्ष
2.	श्री वीरेंद्र मलिक, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड (02.08.2024 से नियुक्त)	सदस्य
3.	श्री शैलेन्द्र सिंह, निदेशक (कार्मिक)	सदस्य
4.	श्री सिपन कुमार गर्ग, निदेशक (वित्त) (28.10.2024 से नियुक्त)	सदस्य
5.	श्री जयकुमार श्रीनिवासन, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड (31.07.2024 से सदस्य नहीं रहे)	सदस्य

हितधारक संबंध समिति 8 नवंबर, 2024 तक क्रियाशील रही। कंपनी अधिनियम और सेबी विनियमों की वैधानिक आवश्यकता के अनुसार, समिति में एक स्वतंत्र निदेशक शामिल होना आवश्यक है। हालाँकि, टीएचडीसीआईएल के स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 9 नवंबर, 2024 को पूरा हो गया। परिणामस्वरूप, समिति 9 नवंबर, 2024 से निष्क्रिय हो गई।

कंपनी सचिव हितधारक संबंध समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

13.2 हितधारक संबंध समिति के विचारार्थ विषय

हितधारक संबंध समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

क. सूचीबद्ध इकाई के सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिसमें शेयरों/डिबेंचर के हस्तांतरण/संचरण, वार्षिक रिपोर्ट की गैर–प्राप्ति, घोषित लाभांश/ब्याज की गैर–प्राप्ति, नए/डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करना, सामान्य बैठकें से संबंधित शिकायतें आदि शामिल हैं।

ख. शेयरधारकों/डिबेंचर धारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।

ग. रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।

घ. कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश/वार्षिक रिपोर्ट/वैधानिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

ङ. कंपनी के डिबेंचर धारकों को ब्याज का समय पर भुगतान/वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक नोटिस सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

च. कंपनी के बांड/डिबेंचर का समय पर मोचन सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों की समीक्षा।

छ. कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) के प्रावधानों और डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक कोई अन्य कार्य करना।

13.3 बैठक और उपस्थिति

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, हितधारक संबंध समिति की एक (1) बैठक आयोजित की गई। समिति की उपस्थिति सहित बैठक का विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	बैठक की तारीख 27.03.2025	कार्यकाल के दौरान हुई कुल बैठकें	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का %
श्री वीरेन्द्र मलिक	✓	1	1	100:
श्री शैलेन्द्र सिंह	✓	1	1	100:
श्री सिपन कुमार गर्ग	✓	1	1	100:
श्रीमती सजल झा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री जयकुमार श्रीनिवासन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

13.4 अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम

निदेशक मंडल ने सेबी (एलओडीआर) के विनियम 6 के संदर्भ में सुश्री रश्मि शर्मा, कंपनी सचिव को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

13.5 केंद्रीकृत वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली–स्कोर्स

कंपनी में सेबी की केंद्रीकृत वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली अर्थात् स्कोर्स का उपयोग किया जाता है। स्कोर्स के माध्यम से, बॉन्डधारक कंपनी के विरुद्ध अपनी शिकायत, समाधान हेतु दर्ज कर सकते हैं। दर्ज की गई प्रत्येक शिकायत की स्थिति ऑनलाइन भी देखी जा सकती है। सेबी शिकायतों के पर्याप्त रूप से निवारण पर संतुष्ट होने पर शिकायतों का निपटान करता है।

13.6 निवेशक शिकायतें

निवेशक की शिकायतों के समाधान के लिए, हमारी कंपनी ने सेबी की वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली अर्थात् स्कोर्स (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) में स्वयं को पंजीकृत किया है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी को निवेशकों की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

13.7 ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) पोर्टल पर टीएचडीसीआईएल का पंजीकरण

सेबी ने अपने परिपत्र के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति बाजार में ऑनलाइन सुलह और मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के समाधान की सुविधा के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) पोर्टल की शुरुआत की।

सेबी के निर्देशों के अनुपालन में, सभी सूचीबद्ध कंपनियों को सेबी स्कोर्स पोर्टल से प्राप्त अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके ओडीआर पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने निर्धारित समय–सीमा के भीतर ओडीआर पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया। पोर्टल ने सेबी स्कोर्स प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टिविटी भी स्थापित की।

14. जोखिम प्रबंधन समिति

एलओडीआर–2015 के विनियम 21 के अनुसार, जोखिम प्रबंधन के तहत साइबर सुरक्षा सहित जोखिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देने, फ्रेमवर्क, बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी और समीक्षा करने; बोर्ड को मूल्यांकित जोखिम और जोखिम शमन हेतु आवश्यक कार्रवाई के बारे में सूचित करने के लिए जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

14.1 जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	श्री भूपेंद्र गुप्ता, निदेशक (तकनीकी), टीएचडीसीआईएल	अध्यक्ष
2.	श्री सिपन कुमार गर्ग, निदेशक (वित्त) (28.10.2024 से नियुक्त)	सदस्य
3.	श्री के.एस. सुंदरम, एनटीपीसी नामित निदेशक (28.10.2024 से नियुक्त)	सदस्य
4.	श्रीमती सजल झा, स्वतंत्र निदेशक (09.11.2024 तक)	सदस्य
5.	श्री जयकुमार श्रीनिवासन, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड (31.07.2024 से सदस्य नहीं रहे)	सदस्य
6.	श्री एस.एन. त्रिपाठी, एनटीपीसी नामिती निदेशक (02.08.2024 से 30.09.2024 तक)	सदस्य

जोखिम प्रबंधन समिति 8 नवंबर, 2024 तक क्रियाशील रही। कंपनी अधिनियम और सेबी विनियमों की वैधानिक आवश्यकता के अनुसार, समिति में एक स्वतंत्र निदेशक शामिल होना आवश्यक है। हालाँकि, टीएचडीसीआईएल के स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 9 नवंबर, 2024 को पूरा हो गया। परिणामस्वरूप, समिति 9 नवंबर, 2024 से निष्क्रिय हो गई।

कंपनी सचिव जोखिम प्रबंधन समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

14.2 बैठक और उपस्थिति

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की 2 (दो) बैठक आयोजित की गई। बैठक का ब्यौरा और समिति की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	बैठक की तारीख		कार्यकाल के दौरान हुई कुल बैठकें	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का%
	26.12.2024	27.03.2025			
श्री भूपेन्द्र गुप्ता	✓	✓	2	2	100%
श्री सिपन कुमार गर्ग	✓	✓	2	2	100%
श्री के.एस. सुंदरम	✓	✓	2	2	100%
श्रीमती सजल झा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री जयकुमार श्रीनिवासन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री एस.एन. त्रिपाठी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

14.3 जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय

जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार है:

i. एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) विशेष रूप से सूचीबद्ध इकाई द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए एक रूपरेखा, जिसमें विशेष रूप से वित्तीय, प्रचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या कोई अन्य जोखिम शामिल है, जैसा कि समिति द्वारा निर्धारित किया जाए।

(ख) पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए सिस्टम और प्रक्रियाओं सहित जोखिम शमन के उपाय।

(ग) व्यवसाय निरंतरता योजना।

ii. यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए उचित कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं।

iii. जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और देखरेख करना।

iv. जोखिम प्रबंधन नीति की समय–समय पर कम से कम दो वर्ष में एक बार समीक्षा करना, जिसमें उद्योग की बदलती गतिशीलता और उभरती जटिलता पर विचार करना शामिल है।

v. निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और सामग्री के बारे में सूचित रखना।

vi. मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें (यदि कोई हो) जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।

vii. किसी भी सार्वजनिक दस्तावेज या प्रकटीकरण में जोखिम प्रकटीकरण विवरण की समीक्षा करना।

viii. कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर और डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कोई अन्य कार्य करना।

15. सीएसआर समिति

कंपनी अधिनियम की धारा 135 की अपेक्षाओं और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार सीएसआर समिति का गठन किया गया है। सीएसआर समिति बोर्ड द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों पर कार्रवाई करने के अलावा, सीएसआर नीति में निर्दिष्ट गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली राशि के साथ बोर्ड को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार करती है और सिफारिश करती है। सीएसआर और सततता पर टीएचडीसीआईएल की नीति वेब लिंक **https://thdc.co.in/sites/default/files/Appointment_Independent_Directors.pdf** पर देखी जा सकती है।

15.1 सीएसआर समिति की संरचना

कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में तीन या अधिक निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, सीएसआर समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम
1	श्री शैलेंद्र सिंह, निदेशक (कार्मिक)	अध्यक्ष
2	श्री एस. एन. त्रिपाठी, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड (30.09.2024 से सदस्य पद पर नहीं रहे)	सदस्य
3	श्री के एस सुंदरम, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड (28.10.2024 से नियुक्त)	सदस्य
4	डॉ जयप्रकाश नाईक बी, स्वतंत्र निदेशक (09.11.2024 तक)	सदस्य

सीएसआर समिति 8 नवंबर, 2024 तक क्रियाशील रही। कंपनी अधिनियम और सेबी विनियमों की वैधानिक आवश्यकता के अनुसार, समिति में एक स्वतंत्र निदेशक शामिल होना आवश्यक है। हालाँकि, टीएचडीसीआईएल के स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 9 नवंबर, 2024 को पूरा हो गया। परिणामस्वरूप, समिति 9 नवंबर, 2024 से निष्क्रिय हो गई।

15.2 बैठक और उपस्थिति

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान सीएसआर समिति की दो (2) बैठक आयोजित की गई। समिति की बैठक में उपस्थिति सहित बैठक का विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	बैठक की तारीख		कार्यकाल के दौरान हुई कुल बैठकें	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का%
	06.08.2024	06.09.2025			
श्री शैलेंद्र सिंह	✓	✓	2	2	100%
डॉ जयप्रकाश नाईक बी.	✓	✓	2	2	100%
श्री एस. एन. त्रिपाठी	✓	✓	2	2	100%
श्री के. एस. सुंदरम्	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

15.3 सीएसआर समिति के कार्य

बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति कंपनी के सीएसआर और सततता कार्यक्रम/गतिविधियों के कार्यान्वयन तथा निगरानी पर नजर रखती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क. सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों तथा वार्षिक योजना/बजट पर विचार करना।

ख. आवधिक सीएसआर प्रगति रिपोर्ट/स्थिति रिपोर्ट पर विचार करना।

ग. सीएसआर गतिविधियों की मानीटरिंग करना।

घ. सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार करना।

ङ. अन्य कोई कार्य जिसे आवश्यक समझा जाए।

16. वरिष्ठ प्रबंधन का ब्यौरा

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान वरिष्ठ प्रबंधन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

16.1 टीएचडीसीआईएल में एजीएम और उनसे ऊपर के अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद नाम	विभाग	संभाग
1	वीर सिंह	कार्यपालक निदेशक	व्यापार विकास	ऋषिकेश
2	संदीप सिंघल	कार्यपालक निदेशक	डी एंड ई–सिविल	ऋषिकेश
3	लक्ष्मी प्रसाद जोशी	कार्यपालक निदेशक	ईडी कार्यालय	टिहरी
4	कुमार शरद	कार्यपालक निदेशक	परियोजना	खुर्जा
5	राजा राम सेमवाल	मुख्य महाप्रबंधक	डी एंड ई–इलेक्ट	ऋषिकेश
6	मनोज कुमार सिंह	मुख्य महाप्रबंधक	मैकेनिकल	टिहरी
7	शूरवीर सिंह पंवार	मुख्य महाप्रबंधक	आईटी	ऋषिकेश
8	अनिल कुमार घिल्डियाल	मुख्य महाप्रबंधक	एमपीएस और सीपी	ऋषिकेश
9	अनूप राज गैरोला	मुख्य महाप्रबंधक	पीएसपी	टिहरी
10	अजय वर्मा	मुख्य महाप्रबंधक	सिविल	पीपलकोटी
11	नीरज वर्मा	मुख्य महाप्रबंधक	प्रशासन	एनसीआर गाजियाबाद
12	वीरेन्द्र सिंह	मुख्य महाप्रबंधक	परियोजना	अरुणाचल प्रदेश
13	अजय कुमार गोयल	मुख्य महाप्रबंधक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी	परियोजना	जयपुर
14	अमरदीप	महाप्रबंधक	सामाजिक एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ	ऋषिकेश
15	संदीप कुमार	महाप्रबंधक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी	संपर्क	देहरादून
16	बिनोद कुमार साहू	महाप्रबंधक	इलेक्ट्रिक	खुर्जा
17	भगवती प्रसाद रयाल	महाप्रबंधक	परियोजना	ढुकवां
18	मयंक कुमार जैन	महाप्रबंधक	परियोजना	हरिका पवन फार्म
19	उपेंद्र दत्त डंगवाल	महाप्रबंधक	डी एंड ई–सिविल	ऋषिकेश

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद नाम	विभाग	संभाग
20	डी मणि	महाप्रबंधक	परियोजना	मुंबई
21	छेत्र पाल सिंह	महाप्रबंधक	लोअर डेम्वे	अरुणाचल प्रदेश
22	डॉ. अमरनाथ त्रिपाठी	महाप्रबंधक	मानव संसाधन	ऋषिकेश
23	नटराजन कृष्णा	महाप्रबंधक	डी एंड ई–सिविल	ऋषिकेश
24	सतीश कुमार आर्य	महाप्रबंधक / उप मुख्य सतर्कता अधिकारी	सतर्कता	ऋषिकेश
25	राकेश चन्द बहुगुणा	महाप्रबंधक	विधि एवं मध्यस्थता प्रकोष्ठ	ऋषिकेश
26	अनिरुद्ध बिश्नोई	महाप्रबंधक	परियोजना	एनसीआर गाजियाबाद
27	जितेंद्र सिंह बिष्ट	महाप्रबंधक	मैकेनिकल	पीपलकोटी
28	मनोज सरदाना	महाप्रबंधक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी	परियोजना	टुस्को लखनऊ
29	मनोज कुमार राय	महाप्रबंधक	प्रापण	ऋषिकेश
30	ए.वी. नारायणन	महाप्रबंधक	संविदा	एनसीआर गाजियाबाद
31	राजीव मोहन दुबे	महाप्रबंधक	परियोजना	खुर्जा
32	संजय अग्रवाल	महाप्रबंधक	पुनर्वास	देहरादून
33	विजय सहगल	महाप्रबंधक	विधि / पुनर्वास समन्वय	टिहरी
34	संदीप भटनागर	महाप्रबंधक	वित्त एंव लेखा	खुर्जा
35	राजीव गोविल	महाप्रबंधक	परियोजना	अमेलिया–कोयला
36	अजय कुमार गर्ग	महाप्रबंधक	वित्त एंव लेखा	ऋषिकेश
37	नीरज कुमार अग्रवाल	महाप्रबंधक	डी एंड ई–सिविल	ऋषिकेश
38	संजीव कुमार चौहान	महाप्रबंधक	अनुसंधान एवं विकास	ऋषिकेश
39	कुंवर पाल सिंह	महाप्रबंधक	टीबीएम	पीपलकोटी
40	सुधीर गिरि गोस्वामी	अपर महाप्रबंधक	योजना	ऋषिकेश
41	मुकेश कुमार अग्रवाल	अपर महाप्रबंधक	सीएमडी सेक्रेटरी	ऋषिकेश
42	बिनय गुप्ता	अपर महाप्रबंधक	आईटी	ऋषिकेश
43	अनंत स्वरूप वर्मा	अपर महाप्रबंधक	मुख्य अभिलेख कार्यालय	ऋषिकेश
44	हरि नंद उनियाल	अपर महाप्रबंधक	आईटी	एनसीआर गाजियाबाद
45	अनूप कुमार श्रीवास्तव	अपर महाप्रबंधक	वित्त एंव लेखा	पीपलकोटी
46	मृदुल दुबे	अपर महाप्रबंधक	वित्त एंव लेखा	टिहरी
47	सुशांत कुमार साहू	अपर महाप्रबंधक	पीएसपी (ईएम और एचएम)	टिहरी
48	नंद किशोर भट्ट	अपर महाप्रबंधक	मैकेनिकल	खुर्जा
49	अजय कुमार कंसल	अपर महाप्रबंधक	सेवाएं	ऋषिकेश
50	शिव राज चौहान	अपर महाप्रबंधक	खरीद	ऋषिकेश
51	हिमांशु चक्रवर्ती	अपर महाप्रबंधक	वित्त एंव लेखा	ऋषिकेश
52	राम बाबू सिंह	अपर महाप्रबंधक	वित्त एंव लेखा (बजट और लेखा परीक्षा)	ऋषिकेश
53	सुनील कुमार मोहंती	अपर महाप्रबंधक	वित्त एंव लेखा (बजट और लेखा परीक्षा)	ऋषिकेश
54	जी. राधा कृष्णन	अपर महाप्रबंधक	वित्त एंव लेखा	एनसीआर गाजियाबाद
55	बलबीर सिंह पुंडीर	अपर महाप्रबंधक	योजना (सुरक्षा)	पीपलकोटी
56	राजेंद्र प्रसाद मिश्रा	अपर महाप्रबंधक	बाँध	पीपलकोटी
57	शंभू प्रसाद डोभाल	अपर महाप्रबंधक	पावर हाउस	पीपलकोटी

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद नाम	विभाग	संभाग
58	संजय मेहर	अपर महाप्रबंधक	भवन एवं सड़क अनुरक्षण	टिहरी
59	शैलेश ध्यानी	अपर महाप्रबंधक	मैकेनिकल	खुर्जा
60	अंबिका प्रसाद व्यास	अपर महाप्रबंधक	परियोजना	दुस्को लखनऊ
61	संदीप चेकर	अपर महाप्रबंधक	योजना	ऋषिकेश
62	संजीव कुमार मित्तल	अपर महाप्रबंधक	नई परियोजनाएं	एनसीआर गाजियाबाद
63	दीपक कुमार	अपर महाप्रबंधक	गुणवत्ता नियंत्रण	टिहरी
64	संजय ममगाईं	अपर महाप्रबंधक	परियोजना	रायचूर (कर्नाटक)
65	राज कुमार वर्मा	अपर महाप्रबंधक	व्यावसायिक	ऋषिकेश
66	मुकेश वर्मा	अपर महाप्रबंधक	एचआर (भर्ती)	ऋषिकेश
67	अतुल कुमार सिंह	अपर महाप्रबंधक	ओएमएस (सिविल)	ऋषिकेश
68	पीयूष चन्द रतूड़ी	अपर महाप्रबंधक	योजना	ऋषिकेश
69	कृष्ण कुमार श्रीवास्तव	अपर महाप्रबंधक	व्यापार विकास	एनसीआर गाजियाबाद
70	चंदन सिंह राणा	अपर महाप्रबंधक	पीएसपी	टिहरी
71	मुकुल कुमार शर्मा	अपर महाप्रबंधक	सिविल	खुर्जा
72	अनिल कुमार बडोनी	अपर महाप्रबंधक	भूवैज्ञानिक भू–तकनीकी विंग	ऋषिकेश
73	मोहम्मद शोयब	अपर महाप्रबंधक	ओएमएस (ईएम,एचएम और सुरक्षा)	ऋषिकेश
74	एस. जे. जया कुमार	अपर महाप्रबंधक	डिज़ाइन	ऋषिकेश
75	मुकेश कुमार वर्मा	अपर महाप्रबंधक	लागत अभियांत्रिकी	ऋषिकेश
76	करण मोहन सिंह रावत	अपर महाप्रबंधक	लागत अभियांत्रिकी	ऋषिकेश
77	अरुण कुमार	अपर महाप्रबंधक	इलेक्ट्रो–मैकेनिकल	पीपलकोटी
78	भगत सिंह	अपर महाप्रबंधक	पीएसपी	टिहरी
79	दुर्गा प्रसाद पात्रो	अपर महाप्रबंधक	मानव संसाधन	टिहरी
80	रविंद्र सिंह राणा	अपर महाप्रबंधक	ओ एंड एम	टिहरी
81	अनिल त्यागी	अपर महाप्रबंधक	सिविल	खुर्जा
82	उदय भान सिंह	अपर महाप्रबंधक	परियोजना	दुस्को एसपीपी, झांसी
83	मुकुल गर्ग	अपर महाप्रबंधक	निदेशक (तकनीकी) सचिवालय	ऋषिकेश
84	चट्टी प्रदीप राज	अपर महाप्रबंधक	डी एंड ई–इलेक्ट्रिक	ऋषिकेश
85	संजय कुमार	अपर महाप्रबंधक	वित्त एंव लेखा	ऋषिकेश
86	आनंद प्रकाश बाजपेयी	अपर महाप्रबंधक	वित्त एंव लेखा	ऋषिकेश
87	मनोज कुमार ग्रोवर	अपर महाप्रबंधक	वित्त एंव लेखा	टिहरी
88	दिनेश शुक्ला	अपर महाप्रबंधक	परियोजना	अरुणाचल प्रदेश
89	हर्ष कुमार	अपर महाप्रबंधक	सामाजिक एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ	ऋषिकेश
90	प्रेम सिंह रावत	अपर महाप्रबंधक	बाँध	पीपलकोटी
91	पी. सुधाकर	अपर महाप्रबंधक	परियोजना	बेंगलुरु (कर्नाटक)
92	दिनेश सिंह चौहान	अपर महाप्रबंधक	ओ एंड एम	कोटेश्वर
93	ईश्वरदत्त तिग्गा	अपर महाप्रबंधक	मानव संसाधन	खुर्जा
94	हरियंत कुमार त्यागी	उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी	परियोजना	जयपुर
95	डॉ. (श्रीमती) नवनीत किरण	सीएमओ	अस्पताल/औषधालय	एनसीआर गाजियाबाद
96	डॉ. (श्रीमती) नमिता डिमरी	सीएमओ	अस्पताल/औषधालय	टिहरी
97	डॉ.रविशंकर कुमार श्रीवास्तव	सीएमओ	अस्पताल/औषधालय	टिहरी

17. आम निकाय की बैठकें

17.1 वार्षिक आम सभा की बैठकें

पिछली तीन वार्षिक आम सभा की बैठकों की तरीख, समय और स्थान के साथ–साथ इनमें पारित विशेष संकल्पों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वार्षिक आम बैठक	27 सितम्बर, 2024 को आयोजित 36वीं वार्षिक आम बैठक	25 सितम्बर, 2023 को आयोजित 35वीं वार्षिक आम बैठक	20 सितम्बर, 2022 को आयोजित 34वीं वार्षिक आम बैठक
समय	अपराह्न 05:30 बजे	अपराह्न 02:40 बजे	अपराह्न 03:50 बजे
स्थान	टीएचडीसीआईएल कार्यालय, नई दिल्ली – 110001	टीएचडीसीआईएल कार्यालय, नई दिल्ली – 110001	टीएचडीसीआईएल कार्यालय, नई दिल्ली – 110001
विशेष कार्य	• श्री पीयूष सिंह (डीआईएन:: 07492389) को कंपनी का अंशकालिक निदेशक (भारत सरकार द्वारा नामिती निदेशक) नियुक्त करने के लिए। • श्री एस.एन. त्रिपाठी (डीआईएन: 10428360) को एनटीपीसी लिमिटेड का नामिती निदेशक नियुक्त करने के लिए। • श्री वीरेंद्र मलिक (डीआईएन: 10427762) को एनटीपीसी लिमिटेड का नामिती निदेशक नियुक्त करने के लिए। • श्री सिपन कुमार गर्ग (डीआईएन: 10746205) को कंपनी में निदेशक (वित्त) नियुक्त करने के लिए। • वित्त वर्ष 2024–25 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करने के लिए। • उपयुक्त किश्तों में निजी प्लेसमेंट के आधार पर 2500 करोड़ रुपये तक के कॉर्पोरेट बॉन्ड निर्गम के अनुमोदित करने के लिए। • कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत संदत्त पूंजी, मुक्त आरक्षिती और प्रतिभूति प्रीमियम से अधिक बोर्ड की उधार लेने की शक्तियों को अनुमोदित करने के लिए।	• श्री शैलेंद्र सिंह को कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्त करने के लिए। • श्री भूपेन्द्र गुप्ता को कंपनी के निदेशक (तकनीकी) नियुक्त करने के लिए। • वित्त वर्ष 2023–24 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करने के लिए। • निजी प्लेसमेंट आधार पर रु3000 करोड़ तक के कॉर्पोरेट बांड निर्गम को अनुमोदित करने के लिए। • कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) के तहत संदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि से अधिक बोर्ड की उधार लेने की शक्ति को अनुमोदित करने के लिए।	• डॉ. जयप्रकाश नाइक बी को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए। • श्रीमती सजल झा को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए। • श्री केसरीदेवसिंह दिग्विजयसिंह झाला को कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने के लिए। • श्री अनिल गर्ग को कंपनी के अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए। • कंपनी में श्री जयकुमार श्रीनिवासन को एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए। • वित्त वर्ष 2023–24 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करने के लिए। • उपयुक्त किश्तों में निजी प्लेसमेंट के आधार पर रु 3000 करोड़ तक के कॉर्पोरेट बॉण्ड्स निर्गम को अनुमोदित करने के लिए।

17.2 पोस्टल बैलेट के माध्यम से पारित विशेष संकल्प

विगत वर्ष के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया था। पोस्टल बैलेट के माध्यम से किसी विशेष संकल्प को पारित करने के लिए कोई तत्काल प्रस्ताव नहीं था।

18. प्रकटीकरण

18.1 सहायक कंपनियां

क. टुस्को लिमिटेड

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को उत्तर प्रदेश में 2000 मेगावाट यूएमआरईपीपी आवंटित किए हैं। टीएचडीसीआईएल और यूपीनेडा की संयुक्त उद्यम कंपनी टुस्को लिमिटेड को झांसी (600 मेगावाट), ललितपुर (600 मेगावाट) और चित्रकूट (800 मेगावाट) में तीन सौर विद्युत पार्कों को कार्यान्वित करने के लिए 12.09.2020 को पंजीकृत किया गया था। टीएचडीसीआईएल और यूपीनेडा के बीच इक्विटी भागीदारी क्रमश: 74:26 है।

(1) झांसी में 600 मेगावाट सौर विद्युत पार्क:

झांसी सौर पार्क की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 19 नवंबर 2021 को रखी गई थी। झांसी सौर परियोजना के लिए कुल 2700 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 2694 एकड़ (99.8%) भूमि टुस्को द्वारा पट्टे पर ली/खरीदी जा चुकी है। झांसी सौर पार्क की लागत 331.71 करोड़ रुपये है। सौर पार्क के भीतर अवसंरचना कार्य, सिविल अवसंरचना कार्य और आंतरिक विद्युत निकासी कार्य, दोनों प्रगति पर हैं।

यूपीपीटीसीएल द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे बाह्य विद्युत निकासी कार्य (ग्रिड सबस्टेशन) भी प्रगति पर हैं। मेसर्स हिंदुजा रिन्यूएबल्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को झांसी सौर परियोजना के लिए सौर परियोजना विकासकर्ता (एसपीडी) के रूप में चुना गया है। झांसी सौर पार्क का विकास मार्च 2026 तक पूरा होने का अनुमान है।

(2) ललितपुर में 600 मेगावाट सौर विद्युत पार्क:

ललितपुर सौर पार्क की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 04 मार्च 2024 को रखी गई थी। 600 मेगावाट ललितपुर सौर परियोजना के लिए कुल 2700 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 2379.10 एकड़ (88%) भूमि टुस्को द्वारा पट्टे पर ली/खरीदी गई है। ललितपुर सौर पार्क की लागत 347.79 करोड़ रुपये है। सौर पार्क के भीतर अवसंरचना कार्य, सिविल अवसंरचना कार्य और आंतरिक विद्युत निकासी कार्य दोनों प्रगति पर हैं। यूपीपीटीसीएल द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे बाह्य विद्युत निकासी कार्य (ग्रिड सबस्टेशन) भी प्रगति पर हैं। एनटीपीसी–आरईएल (एनजीईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) को ललितपुर सौर ऊर्जा परियोजना के सौर परियोजना विकासकर्ता (एसपीडी) के रूप में चुना गया है। ललितपुर सौर पार्क का विकास मार्च 2026 तक पूरा होने का अनुमान है।

(3) चित्रकूट में 800 मेगावाट सौर विद्युत पार्क:

चित्रकूट सौर पार्क की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 18 दिसंबर 2023 को रखी गई थी। 800 मेगावाट चित्रकूट सौर परियोजना के लिए कुल 3600 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 3284.24 एकड़ (91.22%) भूमि टुस्को द्वारा पट्टे पर ली/खरीदी जा चुकी है। चित्रकूट सौर पार्क की लागत 485.26 करोड़ रुपये है। सौर पार्क के भीतर सिविल अवसंरचना कार्य प्रगति पर हैं और आंतरिक विद्युत निकासी कार्य प्रदान किए जा रहे हैं। बाह्य विद्युत निकासी कार्य (ग्रिड सबस्टेशन) यूपीपीटीसीएल द्वारा निविदा प्रक्रिया के अधीन हैं। एनटीपीसी–आरईएल (एनजीईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) को चित्रकूट सौर ऊर्जा परियोजना के सौर परियोजना विकासकर्ता (एसपीडी) के रूप में चुना गया है। चित्रकूट सौर पार्क का विकास मार्च 2026 तक पूरा होने का अनुमान है।

ख. ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी है, जिसे राजस्थान में (यूएमआरईपी) योजना के तहत 10,000 मेगावाट का सौर पार्क विकसित करने के उद्देश्य से टीएचडीसीआईएल और आरआरईसीएल के बीच दिनांक 25.03.2023 को निगमित किया गया है। टीएचडीसीआईएल और आरआरईसीआईएल के बीच इक्विटी भागीदारी क्रमश: 74:26 है। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु.50 करोड़ (पचास करोड़) है और संयुक्त उद्यम कंपनी की संदत्त पूंजी रु.15 करोड़ (पंद्रह करोड़) है। ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड ने बोडाना में 2000 मेगावाट के सौर पार्क के लिए भूमि चिन्हित की थी, जिसे शुरू में आरआरईसीएल और एमएनआरई ने मंजूरी दे दी थी। हालाँकि, बाद में बिना किसी पूर्व सूचना के भूमि आवंटन और एमएनआरई की मंजूरी वापस ले ली गई और आरआरईसीएल की सहायक कंपनी आरएसडीसीएल के पक्ष में पुन: जारी कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप डीपीआर गतिविधियाँ, सलाहकार नियुक्ति और आरईसी से रु.355.86 करोड़ का ऋण रद्द कर दिया गया।

इसके उपरांत, आरआरईसीएल द्वारा सरकारी भूमि पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दिए जाने के बाद, ट्रेडको ने 5000 एकड़ निजी भूमि अधिग्रहण की योजना रद्द कर दी। 2025 की शुरुआत में, ट्रेडको ने दो नए सरकारी भूखंडों बोडाना (870 मेगावाट) में 1735 हेक्टेयर और रणजीतपुरा बरानी (1510 मेगावाट) में 3020 हेक्टेयर का प्रस्ताव रखा, जो वर्तमान में आरआरईसीएल के विचाराधीन हैं। परियोजना की प्रगति भूमि आवंटन पर निर्भर है।

ग. टीएचडीसी यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड

टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और यूजेवीएन लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसे उत्तराखंड राज्य में अभिचिन्हित स्थलों पर हाइड्रो पावर परियोजनाओं की संकल्पना, संरचना, कार्यान्वयन, संचालन और अनुरक्षण के लिए 1 दिसंबर 2023 को निगमित किया गया था।

संयुक्त उद्यम कंपनी की शेयरधारिता क्रमश: 74:26 के अनुपात में टीएचडीसीआईएल और यूजेवीएनएल के पास है। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु50 करोड़ (पचास करोड़) है और जेवीसी की संदत्त पूंजी रु10 करोड़ (दस करोड़) है। उत्तरकाशी में टॉंस नदी पर मोरी हनोल जलविद्युत परियोजना (लगभग 54 मेगावाट) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करते समय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं के अंतर्गत अनुपालन आवश्यकताओं के कारण, यह एकल परियोजना आर्थिक रूप से अव्यवहारिक पाई गई। इसे देखते हुए, उत्तराखंड सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह दो जलविद्युत परियोजनाओं, अर्थात् मोरी–हनोल जलविद्युत परियोजना और हनोल–तुइनी जलविद्युत परियोजना (वर्तमान में यूजेवीएनएल को आवंटित) को एक ही परियोजना, अर्थात् मोरी–तुइनी जलविद्युत परियोजना में एकीकृत करने पर विचार करे ताकि आर्थिक व्यवहार्यता में वृद्धि हो सके। उत्तराखंड सरकार की सहमति से, मोरी–तुइनी जलविद्युत परियोजना (102 मेगावाट) के लिए 7.26 रुपये प्रति किलोवाट घंटा के स्तरीकृत टैरिफ पर एक व्यवहार्य रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार से आगे के निर्देशों के लिए प्रस्तुत की गई है।

18.2 सचिवीय लेखापरीक्षा

मेसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव, नई दिल्ली ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा की है और कंपनी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। शेयरधारकों की जानकारी के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट में सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है।

18.3 सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति

कंपनी में निदेशकों और कर्मचारियों द्वारा प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदेहास्पद जालसाजी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिक मूल्यों के उल्लंघन, जो कंपनी के

व्यवसाय या प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकते हैं, की जानकारी देने में सक्षम बनाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सचेतक नीति है। नीति में निर्दिष्ट रीति में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दायर की जा सकती है। यह कर्मचारियों को उत्पीड़न से सुरक्षोपाय देता है जो इस तंत्र का लाभ उठाकर अध्यक्ष या लेखा परीक्षा समिति तक भी सीधे शिकायत कर सकते हैं। नीति में धोखाधड़ी को रोकने के लिए तंत्र भी शामिल है।

- इसमें सद्भावपूर्वक सचेत करने वाले कर्मचारियों की उत्पीड़न से रक्षा करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की गई है।
- जानबूझ कर झूठा आरोप लगाने वाले कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

कंपनी में उच्च नैतिक,उचित एंव विधिक व्यवसाय आचरण के संभव मानको के लिए सुविधा प्रदान करना ।

- कंपनी परिभाषित और स्थापित व्हिसल ब्लोअर नीति (सतर्क तंत्र) है। व्हिसल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट https://thdc.co.in/sites/default/files/WhistleBlowerPolicyNew.pdf पर उपलब्ध है। इस नीति के उपबंध, कंपनी अधिनियम की धारा 177(9) और (सेबी) –2015 के विनियम 22 के उपबंधों के अनुरूप हैं।

वर्ष 2024–25 के दौरान व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

18.4 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) का अनुपालन

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल परिवेश प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें लैंगिक संवेदनशीलता और समावेशिता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच अधिनियम) के प्रावधानों के अनुरूप, कंपनी ने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने और उनका समाधान करने के लिए एक सुदृढ़ तंत्र स्थापित किया है।

पीओएसएच अधिनियम के अनुपालन में, टीएचडीसीआईएल ने अपनी सभी इकाइयों और कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का गठन किया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, इन समितियों का प्रत्येक तीन वर्ष में पुनर्गठन किया जाता है। इन आंतरिक शिकायत समितियों को अत्यंत गोपनीयता, संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ शिकायतें प्राप्त करने, उनकी जाँच करने और उनका समाधान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मामलों की स्थिति की समीक्षा करने और निवारक तंत्र को सक्रिय रूप से मजबूत करने के लिए समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।

शिकायत निवारण तंत्र को और मजबूत बनाते हुए, टीएचडीसीआईएल कर्मचारियों को भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल, शी–बॉक्स (लैंगिक उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स) प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली महिला कर्मचारियों को पीओएसएच अधिनियम के अनुसार शिकायत दर्ज कराने और निवारण हेतु एकल–खिड़की पहुँच प्रदान करती है।

टीएचडीसीआईएल जागरूकता और संवेदनशीलता पर विशेष बल देता है। सम्मान और सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संगठन के सभी स्तरों पर नियमित पीओएसएच प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता सत्र आयोजित किए जाते हैं। कर्मचारियों में निरंतर जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए सभी इकाइयों में पीओएसएच से संबंधित जानकारी वाले डिस्प्ले बोर्ड सामरिक स्थानों पर लगाए गए हैं।

कार्यस्थल पर गरिमा, समानता और सम्मान के सिद्धांतों को कायम रखते हुए, टीएचडीसीआईएल लैंगिक उत्पीड़न के प्रति अपनी शून्य–सहिष्णुता की नीति दोहराता है और सभी के लिए एक सुरक्षित और समावेशी परिवेश का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

18.5 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 एवं कॉर्पोरेट सुशासन पर डीपीई के दिशानिर्देश:

कंपनी ने लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट सुशासन पर जारी सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। विगत 3 वित्तीय वर्षों और इस वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, राष्ट्रपति द्वारा कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं।

18.6 लेखांकन व्यवहार

प्रबंधन के दृष्टिकोण से वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए सभी लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया जा रहा है।

18.7 संबंधित पक्षकार के साथ लेन–देन:

कंपनी ने संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन (आरपीटी) नीति तैयार की है जिसमें संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन के महत्व निर्धारित करने और संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन करने के मानदंड शामिल हैं। आरपीटी नीति वेब लिंक: https://thdc.co.in/sites/default/files/2025-06/THDC_RPT_Policy.pdf पर उपलब्ध है। संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन का विवरण बोर्ड की रिपोर्ट के भाग के रूप में एओसी–2 के रूप में दिया गया है।

18.8 मूर्त अनुषंगी

कंपनी की एलओडीआर–2015 के विनियम 16(1)(ग) के तहत यथापरिभाषित कोई 'मूर्त अनुषंगी' नहीं थी।

18.9 जोखिम प्रबंधन

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुपालन में, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। अपर महाप्रबंधक स्तर के एक अधिकारी को मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) के रूप में नामित किया गया है, जिन्हें जोखिम प्रबंधन नियमावली की समीक्षा और अद्यतनीकरण, जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करने, जोखिम प्रबंधन ढाँचे के प्रभावी

कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और अभिशासन एवं निगरानी में सहायता के लिए समय–समय पर जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट करने की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं।

जोखिम प्रबंधन नीति को निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। टीएचडीसीआईएल की जोखिम प्रबंधन समिति, जोखिम प्रबंधन नीति की नियमित समीक्षा और प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करती है।

19. रिकार्ड प्रबंधन प्रणाली

टीएचडीसीआईएल ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रिकार्ड प्रबंधन मैनुअल अंगीकार किया है। कंपनी के अभिलेख प्रबंधन की देखरेख के लिए मुख्य अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ ऋषिकेश में एक अलग अभिलेख कार्यालय बनाया गया है।

20. संचार के माध्यम

कंपनी शेयरधारकों/निवेशकों और संचार के अधिकारों को समग्र कॉर्पोरेट सुशासन ढांचे के प्रमुख तत्वों के रूप में स्वीकार करती है और इसलिए शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर, कुशल और प्रासंगिक संचार पर जोर देती है। कंपनी अपने शेयरधारकों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्ट, सामान्य बैठक और अपनी वेबसाइट पर और स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से प्रकटीकरण के जरिए संवाद करती है। कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं का उल्लेख प्रत्येक वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में भी किया जाता है, जिसे सदस्यों और अन्य लोगों को परिचालित किया जाता है। कंपनी के संबंध में निवेशक से संबंधित जानकारी, घोषणाएं और नवीनतम अपडेट कंपनी की वेबसाइट www.thdc.co.in पर देखे जा सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्टॉक एक्सचेंजों में समय–समय पर किए गए कॉर्पोरेट प्रकटीकरण
- वित्तीय परिणाम
- बांडधारक जानकारी
- तिमाही कॉर्पोरेट सुशासन रिपोर्ट

कंपनी के तिमाही वित्तीय परिणामों के सार स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किए जाते हैं और राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। कंपनी समय–समय पर महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट विकास पर प्रेस विज्ञप्तियां और कॉर्पोरेट प्रस्तुतियां भी देती है और इसे इसकी वेबसाइट www.thdc.co.in पर भी प्रदर्शित किया जाता है। वर्ष 2024–25 के दौरान, तिमाही परिणामों को निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है:

तिमाही	प्रकाशन की तिथि	समाचार पत्र
I	8 अगस्त 2024	दि इंडियन एक्सप्रेस
II	10 नवंबर 2024	दि इंडियन एक्सप्रेस
III	9 फरवरी 2025	दि इंडियन एक्सप्रेस
IV	21 मई 2025	दि इंडियन एक्सप्रेस

21. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

हमारी कंपनी सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते कंपनी अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में आती है।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है जो लेखापरीक्षकों द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा की रीति–नीति के बारे में उन्हें निदेश देते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को सांविधिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर टिप्पणी करने का अधिकार प्राप्त है। कंपनी की लेखा परीक्षित रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के अंदर संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

22. कॉर्पोरेट आचार नीति

हमारी कंपनी के निदेशक मण्डल ने कॉर्पोरेट अच्छे सुशासन पहल के भाग के रूप में कॉर्पोरेट आचार नीति को अंगीकृत किया है। आचार नीति का प्रयोजन कंपनी के कर्मचारियों को अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उच्चतम व्यावसायिक नैतिकता, अच्छे सुशासन, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के मानकों का पालन करने के लिए मार्गनिर्देश प्रदान करना है।

23. निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता

कंपनी कार्य व्यवहार के उच्चतम नैतिक मूल्यों के अनुसार व्यापार करने के लिए प्रतिबद्ध है और लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों का अनुपालन कर रही है। कंपनी में बोर्ड सदस्यों जिसमें सरकार द्वारा नामित सदस्य सहित स्वतंत्र निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन के कार्मिक शामिल हैं, के मामलों के प्रबंधन की प्रक्रिया में नैतिकता एवं पारदर्शिता बढ़ाने के मद्देनजर निदेशकों एवं इसके वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों (संहिता) के लिए आचार संहिता लागू है। निदेशक मंडल ने कंपनी के मामलों को संचालित करने में पारदर्शिता की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, कंपनी के मिशन और लक्ष्यों के अनुरूप बोर्ड के सदस्यों तथा प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए एक पृथक आचार संहिता तथा नीति निर्धारित की है। आचार संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट **https://thdc.co.in/sites/default/files/CodeBusinessConduct%26Ethics.pdf** पर उपलब्ध है।

बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के अपर महाप्रबंधक स्तर तक के वरिष्ठ प्रबंधन से व्यापारिक आचार संहिता और नैतिकता वार्षिक पुष्टि मांगी जाती है। बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन अर्थात प्रमुख कार्यपालकों ने समीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दी गई है।

डीपीई के दिशानिर्देशों के खंड 3.4.2 के तहत यथापेक्षित घोषणा

बोर्ड के सभी सदस्यों ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है।

(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

24. कॉर्पोरेट सुशासन प्रमाण पत्र

डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा जारी कॉर्पोरेट सुशासन अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है, जो इस रिपोर्ट का भाग है।

25. सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

जैसा कि एलओडीआर–2015 के विनियम 17(8) के तहत अपेक्षित है, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र कॉर्पोरेट सुशासन रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

26. निवेशकों के लिए सूचना

26.1 स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता

कंपनी के कॉर्पोरेट बांड निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है:

बीएसई लिमिटेड	एनएसई लिमिटेड	
पता: फिरोज जीजीभाई टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400001	पता: एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नंबर सी/1, जी ब्लॉक बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051	
क्रेडिट रेटिंग		
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला–I	INE812V07013	इंडिया रेटिंग: एए (पॉजिटिव) सीएआरई: एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला–II	INE812V07021	इंडिया रेटिंग: एए (पॉजिटिव) आईसीआरए: एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला–III	INE812V07039	आईसीआरए: एए (स्टेबल) सीएआरई: एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला–IV	INE812V07047	आईसीआरए: एए (स्टेबल) सीएआरई: एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला–V	INE812V07054	इंडिया रेटिंग: एए (पॉजिटिव) सीएआरई: एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला–VI	INE812V07062	इंडिया रेटिंग: एए (पॉजिटिव) सीएआरई: एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला–VII	INE812V08011	इंडिया रेटिंग: एए (पॉजिटिव) सीएआरई: एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला– VIII अप्रतिभूति	INE812V08029	इंडिया रेटिंग: एए (पॉजिटिव) सीएआरई: एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला–IX अप्रतिभूति	INE812V08037	इंडिया रेटिंग: एए (पॉजिटिव) सीएआरई: एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला–X अप्रतिभूति	INE812V08045	इंडिया रेटिंग: एए (पॉजिटिव) सीएआरई: एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला–XI अप्रतिभूति	INE812V08052	इंडिया रेटिंग: एए (पॉजिटिव) सीएआरई: एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला–XII अप्रतिभूति	INE812V08060	इंडिया रेटिंग: एए (पॉजिटिव) सीएआरई: एए (स्टेबल)

वित्त वर्ष 2025–26 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान दोनों स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई लिमिटेड को नियत तारीख से पहले कर दिया गया है।

2. रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर ऐजेंट्स
केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
(पूर्व में केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
सेलेनियम, टावर बी, प्लॉट 31–32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,
नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद – 500 032,
तेलंगानाए फोन: +91–40–67162222
ईमेल: gopalkrishna.kvs@karvy.com
वेबसाइट: https://www.kfintech.com

3. डिबेंचर ट्रस्टी
विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड
कैपिटल बिल्डिंग, यूनिट संख्या 505–ए2,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), महाराष्ट्र–400051
फोन: +91 022–69300045
फैक्स: +91 022–69300045
ईमेल: itclcomplianceofficer@vistra.com
वेबसाइट: https://www.vistraitcl.com

27. लाभांश का भुगतान

लाभांश का वर्ष	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (रु करोड़ में)	वार्षिक आम बैठक की तारीख, जिसमें लाभांश घोषित किया गया
2022–23	350.00	अंतरिम लाभांश 11 फरवरी 2023
2022–23	171.44	अंतिम लाभांश 25 सितम्बर 2023
2023–24	300.00	अंतरिम लाभांश 31 मार्च 2024
2023–24	227.34	अंतिम लाभांश 27 सितम्बर 2024
2024–25	441.97	अंतरिम लाभांश 27 सितम्बर 2025

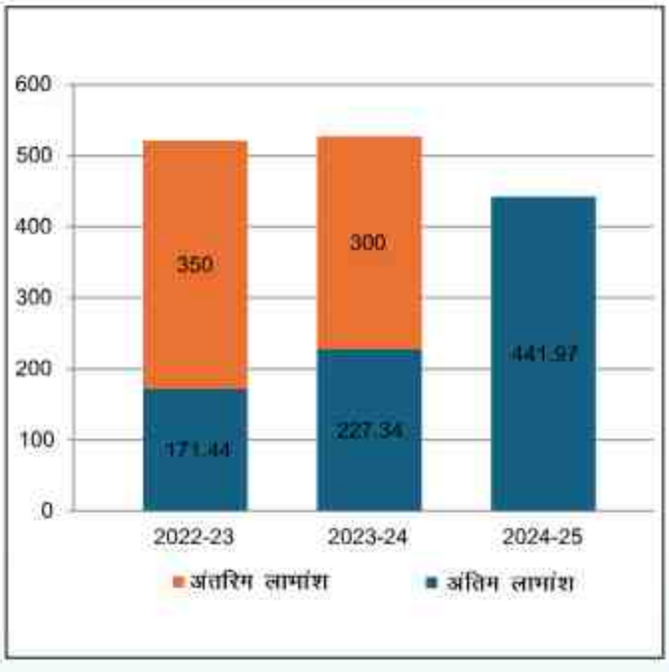

28. शेयरधारिता पैटर्न:

क्र.सं.	श्रेणी	कुल शेयर	इक्विटी का %
1	एनटीपीसी लिमिटेड	27309406	74.496
2	उत्तर प्रदेश के राज्यपाल	9349401	25.504
3	अन्य नामिती शेयरधारक	10	–
	कुल	**36658817**	**100**

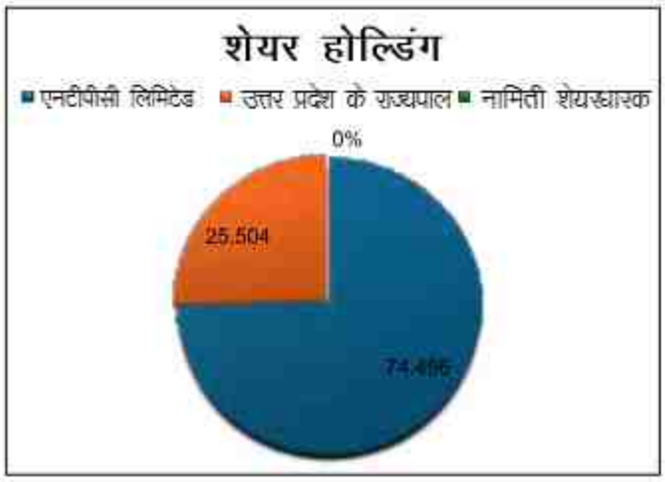

29. निदेशकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या:

क्र.सं.	निदेशक (31.03.2025 तक)	शेयरों की संख्या
1.	श्री राजीव कुमार विश्नोई	शून्य
2.	श्री शैलेंद्र सिंह	शून्य
3.	श्री भूपेन्द्र गुप्ता	शून्य
4.	श्री सिपन कुमार गर्ग	शून्य
5.	श्री पीयूष सिंह	शून्य
6.	श्री अनिल गर्ग	02
7.	श्री वीरेंद्र मलिक	शून्य
8.	श्री के. एस. सुंदरम्	शून्य

30. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के संयंत्रों की अवस्थिति

प्रचालन परियोजनाएं:

i. टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट), जिला: टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड
ii. कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट), जिला: टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड
iii. दुकवां एसएचपी (24 मेगावाट), जिला: झांसी, उत्तर प्रदेश
iv. पाटन पवन ऊर्जा संयंत्र (50 मेगावाट), जिला: पाटन, गुजरात
v. द्वारका पवन ऊर्जा संयंत्र (63 मेगावाट), जिला: देवभूमि द्वारका, गुजरात
vi. कासरगोड सौर ऊर्जा संयंत्र (50 मेगावाट), जिला: कासरगोड, केरल
vii. अमेलिया कोयला खदान (पीआरसी: 5.6 एमटीपीए), जिला: सिंगरौली, मध्य प्रदेश
viii. खुर्जा एसटीपीपी (यूनिट–1) (660 मेगावाट), जिला: बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश
ix. टिहरी पीएसपी (यूनिट –1 और यूनिट –2) (500 मेगावाट), जिला: टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड

निर्माणाधीन परियोजनाएँ

i. टिहरी पीएसपी (750 मेगावाट), जिला: टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड
ii. खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (यूनिट–II (660 मेगावाट), जिला: बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश
iii. विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी (वीपीएचईपी) (444 मेगावाट), जिला: चमोली, उत्तराखंड

31. पत्राचार के लिए पता

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाईपास रोड, ऋषिकेश–249201, उत्तराखंड
पत्राचार के लिए फोन नं. तथा ई–मेल संदर्भ नीचे दिए गए हैं:

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी	
नाम	**सुश्री रश्मि शर्मा** कंपनी सचिव गंगा भवन, प्रगतिपुरम बाय–पास रोड ऋषिकेश 249201, उत्तराखंड
कार्यालय से संपर्क करने के लिए टेलीफोन नं.	0135–2473403 और 2439309
ई–मेल	**rashmi@thdc.co.in**
लोक शिकायतों के लिए	
नाम	**श्री एल.पी. जोशी,** कार्यपालक निदेशक (टिहरी कॉम्पलेक्स) लोक शिकायत पोर्टल/सीपीग्राम्स पर प्राप्त अपीलों के निपटान हेतु उप–अपीलीय प्राधिकारी, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल–249001 (उत्तराखंड)
	श्री नीरज वर्मा, कार्यपालक निदेशक (एनसीआर) निदेशक, लोक शिकायत, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, प्लॉट नंबर 20, सेक्टर–14, कौशांबी, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)–201010
संपर्क	9411109427 / 0120–2776438 / 9411188111
ई–मेल	**lpjoshi@thdc.co.in** **neerajverma@thdc.co.in**

निदेशकों का कौशल/क्षमता मैट्रिक्सः

अनुलग्नक–I

क्रमांक	निदेशक के नाम	पद	तकनीकी	ऊर्जा विद्युत क्षेत्र	वित्तीय लेखांकन	अर्थशास्त्र	मानव संसाधन प्रबंधन	विनियामक ढांचा और विधि	प्रबंधन	पर्यावरण	शैक्षणिक	अनुसंधान और विकास
1.	श्री राजीव कुमार विश्नोई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	✓	✓					✓			
2.	श्री शैलेंद्र सिंह	निदेशक (कार्मिक)		✓			✓		✓			
3.	श्री भूपेन्द्र गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	✓	✓					✓			
4.	श्री सिपन कुमार गर्ग	निदेशक (वित्त)		✓	✓				✓			
5.	श्री पीयूष सिंह	भारत सरकार के नामिती निदेशक	✓	✓					✓			
6.	श्री अनिल गर्ग	नामिति निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार	✓	✓					✓			
7.	श्री वीरेंद्र मलिक	एनटीपीसी नामिती निदेशक		✓	✓				✓			
8.	श्री के. एस. सुंदरम्	एनटीपीसी नामिती निदेशक	✓	✓					✓			

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाणपत्र

सेवा में,
निदेशक मंडल
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

(क) हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा के आधार पर और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर:

(1) इन कथनों में कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं किया है या ऐसे कथन शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं; तथा

(2) ये विवरण एक साथ कंपनी के व्यवसाय का एक सत्य और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

(ख) हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं हुआ है, जो कंपनी आचार संहिता के संदर्भ में धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या उल्लंघनात्मक हो।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इन्हें बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में हमारे संज्ञान में आई कमियों, यदि कोई हो, और इन कमियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए या उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों का प्रकटन किया है।

(घ) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित के बारे में सूचित किया है:

i. 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्त वर्ष पर आंतरिक नियंत्रण में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन;

ii. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में इसका प्रकटन किया गया है; तथा

iii. हमारे संज्ञान में आई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले, तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी की उसमें संलग्नता, यदि कोई हो।

ह0/-
(सिपन कुमार गर्ग)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/-
(राजीव कुमार विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 27.09.2025
स्थान: ऋषिकेश

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए कॉर्पोरेट सुशासन का प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
टिहरी–249001

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') सीआईएन–U45203UR1988GOI009822 एक सरकारी कंपनी है। कंपनी की इक्विटी 74.496% की सीमा तक एनटीपीसी लिमिटेड के पास और 25.504% की सीमा तक उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। इसलिए, कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है।

मैंने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा वित्त वर्ष 2024–25 के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए मई, 2010 में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है। कंपनी एक ऋण–सूचीबद्ध कंपनी है और इसलिए सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के तहत लागू विनियमों के अध्यधीन है। उपरोक्त विनियमों के तहत अनुपालन या अन्यथा की स्थिति पहले ही अन्य पेशेवरों द्वारा रिपोर्ट की जा चुकी है, जांच केवल डीपीई दिशानिर्देशों तक ही सीमित है।

1. कॉर्पोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जांच कॉर्पोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकार की गई प्रक्रिया विधियों तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में न तो लेखापरीक्षा है और न ही राय की अभिव्यक्ति है।
2. मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार मैं प्रमाणित करता हूं कि कंपनी ने, निम्नलिखित को छोड़कर सामान्यत: कॉर्पोरेट सुशासन की शर्तों का पालन किया:

   क) दिशानिर्देश के पैरा 3.1 के तहत, कंपनी के बोर्ड में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यात्मक, नामिती और स्वतंत्र निदेशकों का इष्टतम संयोजन नहीं है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, बोर्ड की संरचना निम्नानुसार है:

क्रम सं.	निदेशक	30 जून,2024 की स्थिति के अनुसार	30 सितम्बर,2024 की स्थिति के अनुसार	31 दिसम्बर,2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च,2025 की स्थिति के अनुसार
1	कार्यात्मक निदेशक	3	4	4	4
2	नामिती निदेशक	3	4	4	4
3	स्वतंत्र निदेशक	2	2	0	0

कंपनी के अनुसार, बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति की शक्तियाँ भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय के पास निहित हैं। कंपनी ने सरकार द्वारा नियुक्तियों में तेजी लाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं।

   ख) वित्त वर्ष के कुछ भाग के लिए स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप, लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति और अन्य समितियों के कार्य और गठन, जहां स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति अनिवार्य है, दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं।

3. मेरा आगे यह भी कथन है कि इस प्रकार का अनुपालन, न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में और न ही वह कार्यकुशलता या कारगरता के बारे में कोई आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संपन्न किया है।

ह0/–

(पी.एस.आर. मूर्ति)
पीआर संख्या 1134/2021
यूडीआईएन A005880G001002139

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 13 अगस्त, 2025